द्वादश माला, खंड 8, अंक 6

शनिवार, 27 फरवरी, 1999
8 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शनिवार, 27 फरवरी, 1999/ 8 फाल्गुन, 1920 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
2	नीचे से 10	सीमिति	सीमित
4	13	अंशदन	अंशदान
5	17	अगल	अगले
7	नीचे से 4	हम	हर
9	नीचे से 3	सीमिति	सीमित
15	1	पिनटान	निपटान

विषय-सूची

द्वादश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)

अंक 6, शनिवार, 27 फरवरी, 1999/8 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	**कॉलम**
सामान्य बजट, 1999-2000	1-34
श्री यशवन्त सिन्हा	
वित्त विधेयक, 1999 - *पुर:स्थापित*	35-36

लोक सभा

शनिवार, 27 फरवरी, 1999/8 फाल्गुन, 1920(शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष जी, कल जो फर्जी वोटिंग हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। ... *(व्यवधान)* उसका जिम्मेदार कौन है? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सामान्य बजट - 1999-2000

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यशवन्त सिन्हा बजट प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं और कल की शानदार जीत के बाद अगले तीन बजट भी हम ही पेश करेंगे।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद पहली बार संसद में सभी राजनैतिक दलों के उत्साहपूर्वक सहयोग से और आपकी सहमति से मेरे लिए 5 बजे सायंकाल बजट प्रस्तुत करने क दीर्घकाल से चली आ रही अंग्रेजी हुकूमत की परम्परा छोड़ देना संभव हुआ है। आज एक नई शुरूआत हो रही है जब मैं 20वीं सदी का अंतिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि यही केवल एक नई शुरूआत नहीं है बल्कि इस बजट में अनेक नई बातें हैं।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य

नब्बे का दशक असाधारण परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इसका शुभारंभ केन्द्रीय रूप से आयोजित अर्थव्यवस्था से हुआ और इसका समापन गंभीर संकट से जूझती बाजार अर्थव्यवस्था से हो रहा है।

1998 का वर्ष विश्व में अभूतपूर्व अशांति का वर्ष रहा है। पूर्व-एशियाई वित्तीय संकट ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अर्थ-व्यवस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचाया और यह अन्य देशों में भी फैल गया। जापान में मंदी की स्थिति बनी रही और अगस्त, 1998 में गंभीर संकट ने रूस को आक्रांत किया। जनवरी, 1999 तक इसका प्रभाव ब्राजील तक फैल गया जहां अत्यधिक पूंजी असंतुलन तथा मुद्रा का तेजी से मूल्यह्रास हुआ। विश्व के उत्पादन की वृद्धि 2 प्रतिशत से भी नीचे गिर गई, विश्व व्यापार की वृद्धि में तेजी से कमी आई, वस्तुओं की कीमतें तेजी से गिर गईं, मुद्राओं पर गंभीर आघात पहुंचा और विकासशील देशों में पूंजी प्रवाह में तेजी से गिरावट आई।

भारत में, हमें भी पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद हम पर लगी आर्थिक पाबंदियों की अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ा। यद्यपि हम इन घटनाओं से अप्रभावित नहीं रहे फिर भी इन गंभीर चुनौतियों के प्रभावों के सामने जिस तरह से हम डटे रहे वह एक संतोष की बात है। प्रतिकूल आर्थिक वातावरण के बावजूद वर्ष 1998-99 में हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष 5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गई। हमारे किसानों ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। वर्ष 1998-99 के प्रारंभ से ही हमने अपने विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में 23 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार 2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की है और हमने विदेशी मुद्रा बाजार में अनुचित अस्थिरता को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। मैं चाहूंगा कि श्री चिदम्बरम इस बात को नोट कर लें कि भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा 1997-98 में 1: 6 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 प्रतिशत पर होने का अनुमान है। यद्यपि वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी फिर भी हम इसे अब 5 प्रतिशत से नीचे लाने में सफल रहे हैं। हम लायें हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इन सभी का विस्तृत ब्यौरा कुछ दिन पूर्व संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में दिया गया है।

फिर भी, यह सभी देखते हुए हम संतोष करें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे समक्ष अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों चुनौतियां गंभीर बनी हुई हैं। केन्द्र और राज्य दोनों का राजकोषीय और राजस्व घाटा अभी भी बहुत अधिक है और यह ब्याज दर कम करने, निवेश और वृद्धि में तेजी लाने, मुद्रास्फीति को रोकने, प्राथमिकता के लिए संसाधन उत्पन्न करने, निर्ब्याज व्यय की आवश्यकताओं और निर्यात बढ़ाने की हमारी क्षमता को क्षति पहुचा रहे हैं।

प्रत्येक वर्ष हमारी निरन्तर चिन्ताओं एवं प्रयत्नों के बावजूद, हम गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्याओं पर एक सीमिति सफलता ही प्राप्त की सके हैं। इस क्षेत्र में सरकार की विभिन्न स्कीमों में लक्षोन्मुखता की कमी रही है। सेवा प्रदायक प्रणालियों को किफायती एवं समुदाय पर आधारित बनाए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लाभ बड़े पैमाने पर गरीबों और हमारे समाज के कमजोर वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को मिलने चाहिए जिसके लिए उन्हें पूरी तरह समर्थवान बनाने की आवश्यकता है। मुझे आशंका है कि इसके बिना हमारी योजना दिशाविहीन हो जाएगी। तो आइए, हम पिछले पचास वर्षों से कुछ सबक लें ताकि हम अगले 500 वर्षों के लिए भविष्य का निर्माण कर सकें।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अत: इस बजट की व्यापक कार्यनीति निम्नलिखित 6 प्रकार की है:

नौंवी योजना में विनिर्दिष्ट आधार पर राजस्व और राजकोषीय घाटा कम करने की मध्यावधिक प्रक्रिया शुरु करना, जो उत्पादक निवेश और वृद्धि के लिए अधिक संसाधन मुक्त करेगी तथा मुद्रास्फीति रोकेगी।

उत्पदकता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अप्रत्यक्ष करों में बड़े सुधार करना।

सभी मुख्य क्षेत्रकों में आर्थिक सुधारों को गहन और व्यापक बनाना तथा हमारे किसानों, विनिर्माताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता और सृजनात्मकता प्राप्त करने के लिए आंतरिक उदारीकरण बढ़ाना।

बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करना, निर्यातों को पुन: गति प्रदान करना तथा विकास को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू साधनों में तेजी लाना।

ज्ञान पर आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करना और इस प्रकार नई सहस्त्राब्दि की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करना।

अंतिम परन्तु महत्वपूर्ण कार्यनीति

मानव विकास के लिए सरकारी कार्यक्रमों जिनमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, रोजगार एवं आश्रय प्रदान करना शामिल है, को पुन: सशक्त एवं दिशा निर्देशित करना है। इनका मुख्य उद्देश्य गरीबों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों को समर्थवान बनाना होना चाहिए।

कृषि और ग्रामीण विकास

अब मैं कृषि के संबंध में बोलूँगा। इस वर्ष के विकास निष्पादन ने एक बार फिर हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को उजागर किया है। किसान इस देश की जान है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मैं एक बहुआयामी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव करता हूं। "हर खेत को पानी"

जल के संबंध में जो कृषि का प्राण है, मैं निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूं :

एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के ढांचे के अंदर अनेक प्रकार के जल संभरण, विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, जलसंभरण विकास का राष्ट्रीय आंदोलन, स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन को संपोषित करता है तथा ग्राम पंचायतों, स्थानीय स्वसहायता दलों और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक आधारभूत सरंचना का सृजन करता है। इसके लिए 3 वर्षों के भीतर 100 प्राथमिकता वाले जिलों को शामिल करने के लिए "नाबार्ड" के साथ एक जलसंभरण विकास निधि स्थापित की जाएगी। केन्द्रीय सरकार "नाबार्ड" को आवश्यक समतुल्य सहायता उपलब्ध कराएगी। यह भूमिहीनों और गरीबों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए आय के साधन उत्पन्न करेगी।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का लक्ष्य राज्यों को समतुल्य सहायता प्रदान करते हुए चालू सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा करना है। तथापि, अधिकांश राज्यों में जल की दरें यहां तक कि पूर्ण प्रचालन और अनुरक्षण लागतें भी पूरा नहीं करतीं। महंगी सिंचाई परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और अनुरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता देगा, ताकि कम से कम प्रचालन और अनुरक्षण लागतें पूरी करने के लिए उनकी जल दरों को युक्तिसंगत बनाया जा सके।

जल प्रबंधन में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वृद्धिकारी जल दर संग्रहण से संबद्ध सभी पंजीकृत जल प्रयोक्ता संघों को एकमुश्त प्रबंधन आर्थिक सहायता तथा 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए आवर्ती सहायता केन्द्र द्वारा दी जाएगी। इससे राज्यों के अपने अंशदन की अनुपूर्ति होगी।

अधिकतम प्रभाव के लिए जल एवं ऋण का प्रवाह साथ-साथ होना चाहिए। पिछले वर्ष मैंने बैंकिंग क्षेत्रक से कृषि क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने में सुधार के लिए अनेक उपायों की घोषणा की थी। मुझे इस सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि चालू वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह ने 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है जो पिछले वर्ष 31,698 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष लगभग 38,000 करोड़ रुपए है। मैं कृषि तथा ग्रामीण ऋण प्राप्ति को सुधारने के लिए निम्नलिखित और उपाय करने का प्रस्ताव करता हूं:

राज्य सरकारों की ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए ग्रामीण आधारभुत संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) का एक महत्वपूर्ण स्कीम के रूप में आविर्भाव हुआ है। पिछले वर्ष मैंने आर.आई.डी.एफ.-IV के अधीन बैंकिंग क्षेत्रक से 3000 करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की थी। मैं इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। आर.आई.डी.एफ.-V की संचित निधि बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए की कर दी जाएगी। अदायगी की अवधि भी पांच से बढ़ाकर सात वर्ष की जा रही है। ग्राम-स्तर की आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, स्व-सहायता दलों और अन्य पात्र संगठनों को ऋण प्रदान करने के लिए आर.आई.डी.एफ. को व्यापक बनाया जाएगा।

पिछले वर्ष की गई घोषणा के अनुरूप सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है। ये कार्ड किसानों को किफायती रूप से समय पर ऋण प्रदान करते हैं। सम्भवत: श्री राजेश पायलट इस बात को नोट करना चाहेंगे। अभी तक छ: लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मैं सरकारी क्षेत्र के बैंकों से इस स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रहा हूं ताकि आगामी वर्ष में बीस लाख किसान इस स्कीम से फायदा उठा सकें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने के लिए प्रारंभ किए गए सुधार जारी रखे जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने की लघु उद्योगों की अत्यधिक क्षमता है। "नाबार्ड" और "सिडबी" ने लघु उद्यमों को निधियां प्रदान करने के माध्यम के रूप में स्व-सहायता

दलों और गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्कीमें शुरू की हैं। पिछले बजट में की गई पहल के बाद "नाबार्ड" द्वारा 10,000 के लक्ष्य की तुलना में 1998-99 में लगभग 15,000 स्व-सहायता समूहों को शामिल करने की संभावना है। मैं "नाबार्ड" और "सिडबी" से इस दिशा में अपने प्रयासों को दुगुना करने और इस वर्ष के दौरान कम से कम 50,000 स्व-सहायता दलों को शामिल करने का अनुरोध कर रहा हूं।

खाद्य और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए ऋण प्राप्ति बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्रक को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करना प्राथमिकता क्षेत्र हेतु ऋण प्रदान करना माना जाएगा।

आज हमारे पास बहुत कमजोर फसलोत्तर भंडारण और विपणन आधार सुविधा है। इससे अत्यधिक राष्ट्रीय क्षति होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं शीत-भंडारों और गोदामों के निर्माण हेतु एक नई ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। यह स्कीम, जो "नाबार्ड" की सहायता से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, और 12 लाख टन की अतिरिक्त शीत भण्डारण क्षमता सृजित करेगी और अगल वर्षों में मौजूदा इकाइयों को 8 लाख टन के भण्डारण तथा आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। हम प्याज भंडारण की 4.5 लाख टन क्षमता करने का भी प्रस्ताव रखते हैं।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई-दक्षिण) : तब इस सभा में श्रीमती सुषमा स्वराज नहीं होंगी।

श्री यशवन्त सिन्हा : यह सदन, विशेषकर, मुख्य विरोधी दल प्याज के लिए हमारी चिंता को स्वत: समझ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? पहले किया होता तो ठीक हो जाता।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : कृषि योग्य भूमि की चकबंदी न होने से भूमि का उत्पादक उपयोग कम हो पाता है। कुछ राज्य भूमि सुधार के इस महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान देने में पीछे रह गए हैं। इस दिशा में सुधारों की गति तेज करने के लिए केंन्द्रीय सरकार यह कार्य करने वाले राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करेगी।

उर्वरक के कारगर वितरण और प्रयोग की एक समस्या, बुआई कार्य के समय इसकी मांग और उपलब्धता में असमानता की है। इस समस्या से निपटने के लिए मैं अप्रैल और मई में कृषि कार्य मंदी के महीनों के दौरान सहकारी समितियों से उर्वरक उठाने हेतु किसानों के लिए प्रोत्साहन छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

अवक्रमित और बंजर भूमि के विकास की चालू स्कीमों को पुन: अनुकूल बनाया जाएगा ताकि स्थानीय स्व-सहायता दलों और भूमिहीन गरीबों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को प्रत्येक गांवों में ऐसी भूमि विकसित करने और उपयोग करने की सुविधा मिल सके। संपूर्ण कार्यक्रम ग्राम पंचायतों की मुख्य भूमिका के साथ उनकी प्रबंध भागीदारिता पर आधारित होगा। वर्ष 1999-2000 के दौरान हम उन राज्यों में जो बराबरी का अंशदान करने के लिए तैयार हैं, परीक्षण के आधार पर यह स्कीम प्रारंभ करने के लिए कुल 50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करेंगे।

ग्रामीण उद्योगीकरण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, ग्रामीण आय बढ़ाने और कृषि उद्योग संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण महत्वपूर्ण है। अभी तक इस पर अनेक सरकारी एजेंसियां कार्य करती आ रही हैं। तथापि, निचले स्तर पर इन कार्यक्रमों का प्रभाव कम ही रहा है। हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यों को एकीकृत करना चाहिए और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तदनुसार, ग्रामीण उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 100 ग्रामीण समूह स्थापित करने के लक्ष्य से मैं ग्रामीण उद्योगीकरण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। यह ग्रामीण दस्तकारों और बेरोजगार युवकों के लाभ के लिए किया जा रहा है। अन्तत: इससे शहरी और ग्रामीण असमानताएं कम होंगी। लघु उद्योग विकास संगठन इस कार्यक्रम का समन्वय करेगा। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के पास उपलब्ध विपणन संबंधी आधारभूत ढांचे का इस संबंध में इष्टतम उपयोग किया जाएगा। अगर के.वी.आई.सी. इस प्रयोजन के लिए अपना ब्राण्ड नाम दे सका तो इससे ग्रामीण औद्योगिक उत्पादों के विपणन में बहुत सहायता मिलेगी। प्रस्तावित ग्रामीण समूह का विस्तार सारे देश में किया जाएगा और उच्च क्षमता तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के बीच उचित संतुलन रखा जाएगा।

राष्ट्रीय मानव विकास संबंधी पहल (एन.एच.डी.आई.)

स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी भारत में मानव विकास का स्तर अधिकांश अन्य देशों से पीछे है। मानव विकास का मूल आधार समाज के सुविधा विहीन वर्गों को अधिकारिता प्रदान करना है ताकि वह विकास प्रक्रिया का लाभ उठा सकें। ... *(व्यवधान)*

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : व्यापक कृषि बीमा के संबंध में आप क्या कहते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : मेरी दृष्टि में इस अधिकारिता में पांच बुनियादी आवश्यकताएं अर्थात् भोजन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शिक्षा, रोजगार और आश्रय सुलभ कराना शामिल है। एक दशक के अंदर देश की संपूर्ण आबादी के लिए इन्हें उपलब्ध कराने के प्रति हम कृत-संकल्प हैं। लोगों पर आधारित विकास के इस प्रयास के साथ हम "सुधारों में सुधार" के प्रधानमंत्री के फरमान का कार्यान्वयन करेंगे।

खाद्य : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न कीमतों के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसके पर्यवेक्षण एवं कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की अधिक भागीदारी के साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि इसके समुचित विस्तार को सुनिश्चित किया जा सके और कारगर बनाया जा सके।

परन्तु इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐसे गरीब वरिष्ठ नागरिक पर्याप्त रूप से नहीं आते जिनकी अपनी आमदनी नहीं है और गांव में उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा

प्रदान करने के लिए मैं 1999-2000 में "अन्नपूर्णा" नामक एक नई स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। "अन्नपूर्णा" स्कीम ऐसे सभी गरीब वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान करेगी जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं परन्तु इस समय उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं और जिनके बच्चे उसी गांव में उनके पास नहीं रह रहे हैं। इस स्कीम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या इस समय राज्य के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायतों को इसका व्यापक प्रचार करने के बाद ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना, उनकी सूची तैयार करना और उसे प्रदर्शित करना होगा।

स्वास्थ्य देख रेख : स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना और सेवा का विस्तार और सुधार प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष कार्य योजना में निर्धारित मुख्य लक्ष्य हैं। जहां अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के लिए व्यापक नेटवर्क सृजित किया गया है, वहीं अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी और पर्यवेक्षण के कारण इन सुविधाओं का उनकी क्षमता से बहुत कम उपयोग हुआ है। हमारा लक्ष्य विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में स्वास्थ्य देखरेख, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास और संबद्ध क्षेत्र में मौजूदा कार्यक्रमों को एकीकृत करना और सहक्रियात्मक बनाना और उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना है ताकि प्रत्येक परिवार की प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख और परिवार कल्याण सेवाएं दोनों तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित हो सके। केन्द्र सरकार ऐसी ग्राम पंचायतों को निधियां प्रदान करेगी जो अपने-अपने क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं स्थापित करने के लिए अपने अंशदान के साथ आगे आती हैं। संबंधित राज्य सरकार से भी समान सहायता प्राप्त होगी।

शिक्षा : लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुलभता महत्वपूर्ण है। कई राज्यों ने शिक्षा गारंटी स्कीमों के अपने संबंधित मॉडलों से काफी सफलता दर्ज की है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा गारंटी योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका उद्देश्य प्रत्येक वासस्थान जिसमें 1 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय न हो, में एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करना होगा। प्रारंभ में, स्थानीय समुदाय विद्यालय परिसर प्रदान करेंगे और किसी स्थानीय व्यक्ति का अंशकालिक शिक्षक के रूप में चयन करेंगे। शिक्षण सामग्री और अन्य सहायता केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी जबकि ग्राम पंचायतें कम से कम दो वर्ष तक विद्यालय चलाने के लिए स्थानीय लोगों से नकद और वस्तु रूप में अंशदान जुटाएंगी। विद्यालय के दो वर्ष तक सफलतापूर्वक चलने के बाद इसका स्थायी आधार पर उन्नयन किया जाएगा। नौवीं योजना के आगामी तीन वर्षों के दौरान ऐसे कम से कम 1.8 लाख विद्यालय कार्यरत हो जाएंगे। मौजूदा केन्द्र-प्रायोजित शिक्षा स्कीमों के अधीन उपलब्ध संसाधन इस महत्वपूर्ण पहल को समर्थन देने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। इस पहल से ग्रामीण गरीबों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर मिलेगा। उन्हें समर्थवान बनाने की दिशा में यह पहला एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है।

रोजगार : "हम हाथ को काम" इस समय, कई स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार स्कीमें चल रही हैं। ग्रामीण गरीबों के लिए आय-प्राप्ति के अवसर उत्पन्न करने के लिए इन स्कीमों की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार पंचायतीराज संस्थाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के साझे सिद्धांत के साथ एक बहुमुखी कार्यनीति का अनुपालन करेगी :

> जवाहर रोजगार योजना की वर्तमान स्कीम यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित की जाएगी कि ग्रामीण आधारभूत संरचना सृजित करने के लिए सभी निधियां ग्राम पंचायतों के अधिकार में रखी जाएं। उन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन से निर्माण कार्य निष्पादित करने की शक्ति सहित वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन का एकमात्र प्राधिकार होगा। इस संशोधित स्कीम को "ग्राम समृद्धि योजना" कहा जाएगा।
>
> रोजगार आश्वासन स्कीम का मजदूरी रोजगार कार्यक्रम संसद सदस्यों सहित अन्य चुने गए प्रतिनिधियों के परामर्श से जिला परिषदों द्वारा निर्णय किए जाने वाले निर्माण कार्य के चयन से जिला/प्रखण्ड स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा। रोजगार आश्वासन स्कीम इस समय संपूर्ण देश में कार्यरत है। हम स्थानिक श्रमिक निष्क्रमण से प्रभावित क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देंगे।
>
> ग्राम पंचायत जनता के देखने के लिए ग्रामसभा में एक तैयार रोजगार रजिस्टर रखेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरी रोजगार स्कीम के अधीन रखी निधियों का व्यय चुनी गई पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से किया जाता है, यह प्रस्ताव किया जाता है कि सामान्य कार्यविधि के अनुसार जहां 80 प्रतिशत निधियां कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को जारी की जाएंगी वहां शेष 20 प्रतिशत निधि केवल तभी जारी की जाएगी अगर राज्य में चुनी गई और अधिकार प्राप्त ग्राम पंचायती संस्थाएं मौजूद हैं।
>
> गरीब ग्रामीणों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रमों की बहुलता के स्थान पर "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" नाम से एकल कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतों की और अधिक भागीदारी होगी। इससे इस कार्यक्रम को अमल में ला रही एजेन्सियां स्थानीय लोगों की जरूरतों को और अधिक माफिक ढंग से पूरा कर सकेंगी।

इन स्कीमों से अधिकाशंत: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और बेरोजगारों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा।

आश्रय : 1997-98 की शुरुआत में लगभग 140 लाख ग्रामीण आवासों की कमी होने का अनुमान था, जिसमें आश्रयहीन परिवारों और वे परिवार जिनके पास केवल कच्चे घर हैं, शामिल थे। सरकार की प्राथमिकता नवीं योजना के अन्त तक सभी आश्रयहीन गरीब परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने की होगी। गरीब परिवारों के कच्चे घरों को पक्का करवाने का कार्य दसवीं योजना के दौरान पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, घर, साफ-सफाई और पेयजल की एकीकृत व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हमारा एक व्यापक "समग्र आवास योजना" शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें इन्दिरा आवास योजना सहित मौजूदा कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय मानव विकास अभिक्रम आबादी के सबसे कमजोर तबकों को सामर्थ्यवान बनाने और देहाती जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। इसमें गांव और शहर के बीच की खाई को अधिकाधिक कम किया जा सकेगा। इस अभिक्रम की कारगरता मुख्यत:

इस बात पर निर्भर करेगी कि एक निर्वाचित निकाय के रूप में ग्राम पंचायत किस हद तक कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। मानव विकास को आयोजना का सबसे अहम उद्देश्य बनाने के साथ ही लोकतन्त्र में विकेन्द्रीकरण लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के हमारे संकल्प की पुष्टि की दिशा में मेरा यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1999-2000 को "ग्राम सभा वर्ष" के रूप में घोषित किया जाए।

आवास "हर परिवार को अपना घर"

अब हम शहरी क्षेत्रों में आवास की बात पर आते हैं। हमने पहले ही आवास निर्माण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी भूमि (हदबन्दी एवं विनियमन) अधिनियम के निरसन सहित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आवास निर्माण हेतु ऋण की प्राप्ति में सुधार लाने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ :

आवास बंधकों के लिए प्राथमिक और गौण बाजार का विकास करने हेतु यह आवश्यक है कि पुरोबन्ध और सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी मौजूदा कानूनी उपबन्धों को सरल बनाया जाए। मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधनों के जरिए आवास क्षेत्रक में पुरोबन्ध कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं।

आवास वित्त कम्पनियों को सुदृढ़ करने के लिए मैं गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों पर अर्जित आय पर कर व्यवस्था में परिवर्तनों का प्रस्ताव करूँगा।

आवास क्षेत्रक को बैंकिंग निधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह देगा कि वे अपनी वृद्धिशील जमाराशियों का 3 प्रतिशत तक आवास वित्त के लिए उधार दें।

राष्ट्रीय आवास बैंक स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके लिए मैंने गत वर्ष एक लाख आवासीय इकाइयों के लक्ष्य की घोषणा की थी। इस स्कीम से मिले संतोषजनक परिणामों से उत्साहित होकर मैं वर्ष 1999-2000 के दौरान इस लक्ष्य को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 1.25 लाख आवासीय इकाइयां करने का प्रस्ताव करता हूँ।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने एक स्कीम का प्रस्ताव किया है जिसमें छोटे उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में कमी करना शामिल है। यह स्कीम उन शहरों में लागू रहेगी जहां शहरी भूमि (हदबन्दी और विनियमन) अधिनियम लागू नहीं है। हम राष्ट्रीय आवास बैंक को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराएंगे। इस स्कीम के ब्यौरे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे।

शहरी क्षेत्रों में आवास विकास का कार्य काफी हद तक शहरी सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हमारी बहुत सी नगरपालिकाएं इस समय वित्तीय रूप से इतनी कमजोर हैं कि वे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं। वित्तीय बाजारों में इन निकायों की साख को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, मेरा प्रत्येक वर्ष म्यूनिसिपल बांडों की एक सीमित मात्रा को कर मुक्त दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है। थोड़ी देर बाद मैं आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दूरगामी कर प्रस्तावों की घोषणा करूंगा।

उद्योग एवं आधारभूत सुविधाएं

मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते हुए एकीकरण और विश्वव्यापी बाजारों में व्याप्त अपरिहार्य अनिश्चितताओं के संदर्भ में भारतीय उद्योग जगत के लिए पिछले दो वर्ष कठिन रहे हैं। परन्तु हमें इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि किस तरह भारतीय उद्योग ने इन कठिन चुनौतियों पर जीत हासिल की है और अनेक क्षेत्रों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी और औषधियों में विश्व श्रेणी के आला उत्पादों का उत्पादन किया है। नयी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में कॉरपोरेट और औद्योगिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया अपरिहार्य हो चली है। इस संक्रमण में मदद के लिए मैं महत्वपूर्ण कर प्रस्तावों की घोषणा करूंगा जिससे कम्पनियों के विलयन और एकीकरण में आसानी हो सके।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की पुनरीक्षा कर उसमें संशोधन किया जाएगा ताकि हमारा ध्यान मूल रूप से उद्योग के विनियमन के बजाय उसके विकास की ओर जा सके।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम प्रतिस्पर्धात्मक कानूनों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में कतिपय क्षेत्रों में पुराना पड़ चुका है। हमें अपना ध्यान एकाधिकारिक प्रणालियों पर रोकथाम की बजाय प्रस्पिर्द्धा को बढ़ावा देने की ओर देना होगा। सरकार ने इन सारे मुद्दों पर विचार करने और हमारी स्थितियों के अनुरूप एक आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा कानून का प्रस्ताव करने के लिए समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

व्यापार और उद्योग सम्बन्धी प्रधानमंत्री की परामर्शदात्री परिषद ने ज्ञान पर आधारित उद्योगों के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। औषधि उद्योग महत्वपूर्ण ज्ञान पर आधारित उद्योगों में से एक है जहां हमें अपेक्षतया अधिक फायदा हासिल होता है। हमें हमारे दवा उद्योग के अनुसंधान और विकासात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप आई.डी.पी.एल. का पुनरुद्धार नहीं कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)* आई.डी.पी.एल. का पुनरुद्धार किए बिना आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : सरकार ने वर्तमान औषधि नीति की पुनरीक्षा के लिए दो उच्च स्तरीय समितियां गठित करने का निर्णय किया है जिससे मूल्य नियन्त्रणों की सख्ती में, जहां वह उत्पादन के प्रतिकूल बन चुकी हैं, कमी लाई जा सके और भारतीय औषधि कम्पनियों के लिए स्वदेशी अनुसंधान व विकास का काम हाथ में लेने हेतु आवश्यक सहायता का पता लगाया जा सके। मेरे सहयोगी, रसायन व उर्वरक मंत्री इस प्रयास के बारे में अलग से घोषणा करेंगे। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने स्वत: माध्यम के तहत 74 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति देने का निर्णय किया है।

हमने अपना ध्यान जहां एक ओर नये उभर कर आने वाले उद्योगों की ओर दिया है, वहीं हमने वस्त्रोद्योग जिसमें 380 लाख कामगार कार्यरत हैं और जो विनिर्माण मूल्यवर्धन का लगभग 20 प्रतिशत का योगदान करते हैं, जैसे स्थापित उद्योगों की उपेक्षा भी नहीं की है। सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम को मंजूरी दी है और यह अप्रैल, 1999 से लागू हो जाएगी। इसमें अगले पांच वर्षों के लिए वस्त्रोद्योग इकाइयों द्वारा वित्तीय

संस्थाओं और बैंकों से लिए गए ऋणों पर 5 प्रतिशत के पर्याप्त ब्याज प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें बनुकरी, बुनाई, प्रसंस्करण और फिनिशिंग इकाइयां, वस्त्र उत्पादन, रुई ओटना और प्रसंस्करण और जूट उद्योग शामिल होंगे। इस स्कीम का दायरा बढ़ाकर कताई उद्योग को शामिल किया जा रहा है।

श्री वैको (शिवकाशी) : यह बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य : एन.टी.सी. के आधुनिकीकरण के संबंध में आप क्या कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया शांत रहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में हमारी सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए सेवाएं, तकनीकी और विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए हथकरघा क्षेत्रक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पहले ही जाहिर कर दी है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : यशवंत बाबू, आपका वोटर हिन्दी जानता है, आपका वोटर अंग्रेजी नहीं जानता है, भारतीय भाषा जानता है। आप क्या बात कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापडी के. राममूर्ति): यदि हम हिन्दी नहीं जानते हैं, तो हम क्या करें ? कृपया अब इस मुद्दे को नहीं उठाइए।

श्री यशवन्त सिन्हा : इस बात पर समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं ? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप हैडफोन लगा लीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : भाषा पर मत विवाद करिये।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अन्य इंडियन लेंग्वेज में बोलियं। तमिल में पढ़िये, मलयालम में पढ़िए। हम सभी भाषाओं के समर्थक हैं। क्या यह विदेशी भाषा दिन-रात चलेगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... *(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : महोदय, तमिलनाडु भी भारत का एक हिस्सा है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : क्या यहाँ विदेशी भाषा का राज चलेगा ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... *(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल : तमिलनाडु, केरल और आन्ध्र प्रदेश सभी भारत के हिस्से हैं ... *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : यही कारण हैं कि वह इस मुद्दे को उठाना चाहते थे और आप उनकी बात को पकड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : ये ट्रांसलेशन की बात करते हैं। आपकी पूरी मशीन खराब पड़ी हुई है, यह उनको पढ़ाइये। यहां विदेशी भाषा नहीं चलेगी। हम लोग विदेशी भाषा की औलाद नहीं हैं, हम देशी भाषा की औलाद हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माइक्रोफोन ठीक है, लालू जी, प्लीज़ बैठिये।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री महोदय, कृपया अपना भाषण जारी रखिए। श्री राममूर्ति, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है ? माननीय मंत्री महोदय, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हम लोग विदेशी भाषा की औलाद नहीं हैं। जो विदेशी भाषा की औलाद हो, वे अंग्रेजी सुनें। हम देशी भाषा की बात करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम हिन्दी की बात नहीं करते। आप अंग्रेज मत होइये। हम चाहते हैं कि आप मलयालम में पढ़ें, तमिल में पढ़ें, तेलगू में पढ़ें, कन्नड़ में पढ़ें। विदेशी भाषा वाले विदेशी औलाद हैं, देशी औलाद नहीं। जो विदेशी औलाद हो, वे विदेशी भाषा में सुनें। ... *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हम लोग कोल्हू के बैल हैं क्या, जो कोल्हू के बैल की तरह हैं, हैडफोन लगाकर रखें।

श्री यशवन्त सिन्हा : विपणन के क्षेत्र में, मेरा एक नई समेकित हथकरघा संवर्धन स्कीम, "दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना" शुरू

करने का प्रस्ताव है जिससे बुनकरों के लिए प्रसंस्करण सुविधायें, नई डिजाइन सामग्री और हथकरघा वस्त्रों के विपणन हेतु नये साधनों की प्राप्ति को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार बिजली, दूरसंचार, सड़क और पत्तनों जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण कानूनी एवं दूसरी सुधारात्मक पहलें कर चुकी है।

सेतु समुद्रन शिप केनाल परियोजना हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी पत्तनों के बीच छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करेगी। दीर्घकाल से प्रतीक्षित इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता की जांच करने के लिए मैं 1999-2000 के दौरान निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री वैको : मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है।

श्री यशवन्त सिन्हा : लघु उद्योग : गत वर्ष मैंने लघु उद्योग क्षेत्रक को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की थी। इस क्षेत्रक को ऋण प्रदान करना हमारे बैंकिंग क्षेत्रक के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। लघु उद्योग के लिए ऋण वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ :

लघु ऋणकर्त्ताओं को एकल खिड़की के माध्यम से सावधिक ऋण और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करके उनकी प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की संयुक्त स्कीम तैयार की गयी है। इस समय संयुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए है। मेरा इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

लघु उद्योग इकाइयों की कार्यशील पूंजी सीमाओं की संगणना के सरलीकरण के लिए मैंने पिछले वर्ष यह घोषणा की थी कि 4 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली लघु उद्योग इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी सीमा वार्षिक कारोबार के 20 प्रतिशत पर नियत की जाएगी। मेरा इस सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तदर्थ ऋण सीमाओं को प्रदान करने में शाखा प्रबन्धकों को अधिक अधिकार प्रत्यायोजित करने, आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाने, ऋण, जरूरत के आकलन के लिए उनके स्वयं के मानदण्ड तय करने तथा और अधिक लघु उद्योग शाखाएं खोलने की सलाह दी थी। इन उपायों से लघु उद्योग इकाइयों को ऋणों की प्राप्ति में आसानी होनी चाहिए।

लघु क्षेत्रक तक बैंकों की पहुंच बढ़ाने के लिए, बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियों अथवा अन्य वित्तीय मध्यवर्ती कारोबारियों को आगे लघु क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करने को बैंक ऋण प्रदायगी के प्राथमिक क्षेत्रक की परिभाषा में शामिल किया जा रहा है।

बैंकों को पर्याप्त जमानत उपलब्ध कराने में असमर्थता और कम वसूली को प्राय: लघु उद्योग इकाइयों के लिए निवेश ऋण की प्राप्ति में प्रमुख बाधा माना जाता है। यह समस्या निर्यातोन्मुखी और लघु उद्योग इकाइयों के मामले में अधिक प्रबल है। इस समस्या के निराकरण के लिए एक नई ऋण बीमा स्कीम शुरू की जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का जयगान करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने "जय विज्ञान" का एकदम सटीक नारा दिया था। समय आ चुका है कि हम अपने वैज्ञानिकों और आधारभूत स्तर के खोजकर्ताओं की सृजनात्मक क्षमता को उजागर करें। केवल तभी हम भारत को सच्चे अर्थों में आत्म निर्भर और सुदृढ़ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं। मैं समूचे देश में नवीन खोजकर्ताओं की मदद के लिए कए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। 20 करोड़ रुपए की आरम्भिक धनराशि से शुरू की गई इस निधि से खोजों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जाएगा, बौद्धिक सम्पदा की व्यवस्था होगी, नवीन खोजों को सक्षम कार्यों में बदलने और इन खोजों का देशभर में प्रसार करने के लिए इनक्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी।

हमारी अनुसंधान संस्थाओं के पास ऐसी नई वैक्सीनें विकसित करने की क्षमता है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रणालियों के क्षेत्र में क्रान्तिकारी हो सकती हैं। इस प्रयास की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए हमारा वैक्सीनों के सम्बन्ध में एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

हमारा देश ऐसे विविध और बहूमूल्य आनुवंशिक संसाधनों से सम्पन्न है जिनका उचित रूप से संरक्षण व प्रबन्धन किए जाने की आवश्यकता है। विश्व में जैव विविधता के 18 जीवन्त क्षेत्रों में से दो भारत में क्रमश: पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटों में आते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नीतियों, अनुसंधान, प्रलेखीकरण और देश के अधिकारों के कानूनी संरक्षण के समन्वय के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जैव संसाधन बोर्ड (एन.बी.बी.) की स्थापना की जाएगी।

बैंकिंग

गत वर्ष मैंने बैंकिंग क्षेत्रक में सुधारों के बारे में नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की थी। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की है। मेरा सुधार प्रक्रिया को और आगे ले जाने का प्रस्ताव है:

हमारे सरकारी क्षेत्रक के बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का उच्च स्तर निरन्तर चिन्ता का विषय बना हुआ है। त्वरित न्यायनिर्णयन और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली के लिए गठित ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डी.आर.टी.) के उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आने लगे हैं। सरकार ने 5 और डी.आर.टी. और 4 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का निर्णय किया है। मेरा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम में इसके उपबन्धों को सुदृढ़ करने हेतु इसमें कतिपय संशोधन करने के लिए संसद के चालू सत्र में एक विधेयक पेश करने का भी प्रस्ताव है।

कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना और उनकी गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने के लिए हमने हाल ही में एक कार्यकारी दल की स्थापना की है।

अतिदेय ऋणों के बहुत पुराने मामलों का समय पर समझौता पिनटान करने में बैंकों की असमर्थता बैंकों की निधियों की अवरुद्धता और वसूली वादों में लम्बे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी का कारण बनती है। सरकार क्षेत्र के बैंकों को समझौता सलाहकार समितियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इस प्रकार के बहुत पुराने मामले, विशेषकर लघु क्षेत्रक और कृषकों से सम्बन्धित मामलों का समय पर और शीघ्रतापूर्वक निपटान हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक इस बारे में बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।

हमारे बैंकों को सन्देहास्पद और गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के प्रति व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों का अनुपालन करने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में इन मानदण्डों को सुदृढ़ किया गया है। विवेकपूर्ण मानदण्डों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों तक आने में बैंकों की मदद के लिए किए गए प्रावधानों की कर कटौती में कतिपय परिवर्तनों की मैं घोषणा करूंगा।

वैदेशिक क्षेत्रक

अपनी विदेशी भुगतान की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें अपने निर्यातों में फिर से नई जान फूंकने और विदेशी निवेश के रूप में और अधिक गैर ऋण प्राप्तियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

लदान-पूर्व और लदान-पश्चात ऋण को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं का बहुत अधिक सरलीकरण करने के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की मौजूदा स्कीम में आमूल-चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में ब्यौरों की अलग से घोषणा करेगा।

अध्ययनों से यह प्रदर्शित हुआ है कि हमारे निर्यातकों को विदेशी व्यापार लाइसेंस प्रणाली, कर प्रणालियां और बैंकिंग प्रणाली से सम्बन्धित उच्चतर लेनदेन लागतों की बाधा का सामना करना पड़ता है। मैं इस समस्या पर गहराई से विचार करने और ऐसे लेनदेन की लागतों में कमी लाने के लिए अगले तीन महीने के भीतर ठोस सिफारिशें करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना कर रहा हूँ।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्ति को बाधा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रकों को शामिल करते हुए स्वत: अनुमोदन की सूची को विस्तृत करने का निर्णय लिया है। विस्तारित सूची की घोषणा पृथक रूप से मेरे साथी, उद्योग मंत्री द्वारा की जाएगी। जहां कहीं विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) की स्वीकृति अपेक्षित होगी, वहां एफ.आई.पी.बी. अपना निर्णय 30 दिन के भीतर देगा।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) स्वीकृतियों के मंदगति से कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस बात का सुनिश्चयन करने के लिए ऐसी स्वीकृतियों को शीघ्रता से वास्तविक निवेश प्राप्तियों तथा परियोजनाओं में परिणत किया जाए, सरकार ने उद्योग मंत्रालय के अधीन एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) गठित करने का निश्चय किया है जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं।

देश में परिवारों तथा कई धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं द्वारा सोने की काफी मात्रा अपने पास रखी गयी है। यह अनुत्पादक परिसम्पत्तियां हैं जिनसे धारकों को कोई आय प्राप्त नहीं होती और वह अक्सर इन परिसम्पत्तियों की सुरक्षा पर खर्च करते हैं। यह एक ऐसी विसंगति है कि देश को प्रतिवर्ष सोना रखने की नयी मांग को पूरा करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए की राशि विदेशी मुद्रा में व्यय करनी पड़ती है। इस अनुत्पादक सोने को जुटाने के लिए, मैं एक नई स्वर्ण जमा योजना का प्रस्ताव करता हूँ। चुनिंदा बैंक सब्याज प्रमाण पत्र अथवा बाण्ड जारी करेंगे जिनके परिपक्व हो जाने पर इन प्रमाण पत्रों अथवा बाण्डों के बदले सोना पुन: प्राप्त किया जा सकता है। इससे जमाकर्त्ताओं को अपने पास पड़े सोने के भण्डारण, संचालन और सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी और उन्हें आय का एक नियमित स्रोत भी उपलब्ध होगा। देश के सम्बन्ध में इस बेकार पड़े सोने को काम में लेकर हमारी आयातित सोने पर निर्भरता कम होगी। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्वर्ण जमा बांडों/प्रमाण पत्रों से प्राप्त ब्याज को आयकर से और स्वर्ण जमा योजना में जमा की गयी परिसम्पत्तियों के मूल्य को धन कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, इन स्वर्ण बांडों/प्रमाणपत्रों से व्यापार अथवा मोचन के जरिए प्राप्त पूंजीगत लाभों को पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान की जाएगी। मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि इस योजना के तहत शामिल किए गए स्वर्ण की आवाजाही को चुंगी, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क और इसी प्रकार की अन्य लेवी से छूट प्रदान करने के बारे में विचार करें। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस योजना से सभी प्रकार के सोने में छूट नहीं मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

मैंने अपने पिछले बजट में, हमारी विकास प्रक्रिया में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया था। उनकी प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर अब मैं कुछ और प्रोत्साहनों का प्रस्ताव करता हूँ:

हम अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों द्वारा किए जाने वाले 100 प्रतिशत तक के निवेश के सम्बन्ध में सभी मदों के लिए स्वत: स्वीकृति की सुविधा प्रदान करेंगे परन्तु इसमें वे मदें शामिल नहीं होंगी जिन पर अधिसूचित एफ डी आई इक्विटी कैप्स लगता है अथवा जिन्हें औद्योगिक नीति के अर्न्तगत अधिसूचित अनिवार्य लाइसेंसिंग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का संरक्षण प्राप्त है अथवा जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

हमारे प्रमुख स्टॉक एक्सचेन्जों में प्रतिभूतियों के लिए स्क्रीन आधारित स्वत: कारोबार की व्यवस्था है। अब स्टॉक एक्सचेन्जों के लिए तकनीकी तौर पर विदेशों में कारोबार टर्मिनलों का खोलना सम्भव हो गया है जिससे हमारे पूंजी बाजारों में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी सुगम होगी। मैंने भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) से इस उद्देश्य हेतु इसके तौर तरीकों को तैयार करने के लिए कहा है।

भारतीय म्युचुअल फंडों में अनिवासी भारतीयों के निवेश के सम्बन्ध में मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्रदान करने सम्बन्धी व्यवस्था को कार्योत्तर सूचना प्रणाली के रूप में सरल बनाया जाएगा।

पूंजी बाजार

अब मैं पूंजी बाजार के संबंध में उल्लेख करूंगा। मुझे उम्मीद है मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज देख रहे होंगे। हमारे आधारभूत सुविधा क्षेत्रक के लिए अति आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक सक्षम पूंजी बाजार का होना अनिवार्य है। आधारभूत परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक निधियों की आवश्यकता होती है और जिसके लिए एक सुदृढ़ और सुचारु रूप से कार्य करने वाले ऋण बाजार की आवश्यकता होती है। ऋण बाजार को आधुनिक बनाने तथा इस क्षेत्र में कागजी कार्रवाई रहित लेनदेन आरंभ करने के उद्देश्य से भी सरकार जमा प्रणाली के अन्तर्गत ऋण दस्तावेजों के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करती है।

हाल ही में, भारतीय कम्पनियों के अच्छे प्रशासन के महत्व पर पर्याप्त चर्चा हुई है। यह बराबर महसूस किया जा रहा है कि निवेशकों को पूंजी बाजार में पुन: आकर्षित करने के लिए कम्पनियों को निगमित प्रतिष्ठानों के प्रशासन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य कार्यप्रणालियों का पालन करके अपने को सुव्यवस्थित रखना पड़ेगा। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए मैं कंपनी प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु एक राष्ट्रीय पुरस्कार चालू करने का प्रस्ताव करता हूं।

यू.टी.आई. द्वारा नियुक्त दीपक पारिख समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें यू.एस.-64 स्कीम की पुनर्संरचना और कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सिफारिशें भी शामिल हैं। हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। मैं शीघ्र ही कर प्रोत्साहनों का उल्लेख करूंगा। पुनर्संरचना से संबंधित ब्यौरों की घोषणा अलग से प्रेस रिलीज में की जा रही है। इससे पूंजी बाजार में अनिश्चितता के बादल छंट जाने चाहिए और विश्वास की बहाली होनी चाहिए।

मेरे कर-प्रस्तावों से म्युचुअल फंड भी काफी सुदृढ़ होंगे और इसके द्वारा छोटे फुटकर निवेशक पूंजी बाजार में वापस लौटेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे बेईमान प्रमोटरों जो निवेशकों से धन जुटाकर कांग्रेस के शासन काल में उसका गलत उपयोग करते रहे, के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए "सेबी" तथा कम्पनी कार्य विभाग के बीच एक संयुक्त तंत्र की स्थापना की जाए। ... *(व्यवधान)*

व्यय प्रबन्ध

सरकार द्वारा किए जा रहे गैर विकासात्मक व्यय की उच्च वृद्धि दर चिन्ता का एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कारण है। मैं निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव रखता हूं:

> महोदय, जहाँ तक कि घाटे का संबंध है इस समस्या का सर्वाधिक कारगर तथा चिरस्थायी समाधान सरकार के आकार को छोटा बनाने की प्रक्रिया आरंभ करना है। केन्द्र सरकार के विभागों में आमेलन और उन्हें युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से हम चार सचिव स्तरीय पदों को समाप्त कर इस दिशा में तत्काल शुरूआत कर रहे हैं। इसे 1 अप्रैल, 1999 से लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : उत्तर प्रदेश का क्या होगा, जहां सौ मंत्री हैं।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, मैं कल से ही सचिव पद का परित्याग कर रहा हूँ ... *(व्यवधान)*

> सरकार की भूमिका तथा उसके प्रशासनिक ढांचे को कम करने की दिशा में इस प्रक्रिया का व्यवस्थित तरीके से आगे ले जाने के लिए हम एक प्रतिष्ठित तथा अनुभवी व्यक्ति की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग का गठन करेंगे।
>
> मैं अगले बजट को तैयार करने में पुनर्मूल्यांकन (जीरो बेस) आधारित बजट प्रणाली बनाने का प्रस्ताव करता हूं।
>
> पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने तथा सरकार की आकस्मिक देयताओं में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार ने 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से एक गारंटी शोधन निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ऐसी ही निधियां स्थापित करने के लिए मैं सभी राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करता हूं।

सरकारी क्षेत्र के सुधार/विनिवेश/निजीकरण

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रति सरकार की कार्य-नीति में महत्वपूर्ण यूनिटों को सुदृढ़ करना, क्रमिक विनिवेश अथवा अनुकूल बिक्री के जरिए गैर-महत्वपूर्ण यूनिटों का निजीकरण और कमजोर यूनिटों के लिए व्यवहार्य पुनर्वास की कार्यनीति बनाना जैसे मिश्रित उपाय शामिल होंगे।

श्री सुनील खाँ (दुर्गापुर) : क्या आप सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार करने जा रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : सरकार का विनिवेश संबंधी कार्यक्रम मूल रूप से विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया जाता है। आयोग ने अब तक 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिनमें 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में सिफारिशें दी गयी हैं। ये सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के और उद्यमों को विनिवेश आयोग के पास उसकी महत्वपूर्ण सलाह प्राप्त करने के लिए भेजेगी। मैं वर्ष 1999-2000 में विनिवेश कार्यक्रम के जरिए बड़े पैमाने पर नीतिगत विनिवेश सहित 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे सरकार को सामाजिक तथा आधारभूत क्षेत्रकों की आवश्यकताओं के लिए निधि प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ इन उद्यमों की उत्पादकता तथा लाभकारिता में सुधार होगा और घरेलु पूंजी बाजारों का आगे विकास भी होगा।

सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत जनशक्ति को सुसंगत बनाने हेतु केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता प्रदान करती रही है। परन्तु, ऐसी सहायता सामान्यत: घाटे में चल रहे उद्यमों तक सीमित है। ऐसे और भी उद्यम हैं जो मामूली मुनाफा अर्जित कर रहे हैं और जिन्हें चल सकने योग्य बनाए रखने के लिए उनकी जनशक्ति को घटाने की आवश्यकता है लेकिन ऐसे युक्तिसंगत कार्यों के वित्तपोषण हेतु इन उद्यमों के पास संसाधन नहीं हैं। सरकार ऐसे उद्यमों को बैंकों से सरकारी गारंटियों पर तथा ब्याज सब्सिडी से धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के कारण बजट पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की दृष्टि से, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों

को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वाले कामगारों के लिए बांड जारी करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। सरकार ऐसे बाण्डों की पुन:अदायगी की गारंटी देगी और साथ ही ब्याज भुगतानों की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया जाएगा कि वह ऐसे कामगारों, जिन्हें सहायता की जरूरत है, को ऋण की स्वीकृति के संबंध में ऐसे बाण्ड सहवर्ती रूप से स्वीकार करने हेतु बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी करे।

नीति तैयार करने तथा योजना बनाने के संबंध में समय पर विश्वसनीय सांख्यिकी की आवश्यकता के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास योग्य है कि आर्थिक नियंत्रण प्रणाली को उत्तरोत्तर समाप्त करने से आंकड़े प्राप्त होने की गुणवत्ता में गिरावट आयी है। सरकार ने मौजूदा सांख्यिकीय प्रणाली की कमियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है ताकि प्रणाली को व्यवस्थित तरीके से पुन: सुदृढ़ करने के लिए उपायों की सिफारिश की जा सके।

डा. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : आप फिल्म उद्योग को पूरी तरह से भूल गए हैं। फिल्म उद्योग को कोई रियायत क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : आज हम द्वितीय सहस्त्राब्दि के अंतिम छोर पर खड़े हैं। इसलिए हमें आगामी शताब्दी तथा सहस्त्राब्दि से उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। दूसरी पीढ़ी के सुधारों के संबंध में गम्भीरता से चर्चा करने तथा उन पर निर्णय लेने का यह समय है ताकि उन सुधारों से हम भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना सकें और नवोदित विश्व व्यवस्था के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें।

"हमारा उद्देश्य : भारत को आगे ले जाना" इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट सत्र की समाप्ति से पहले मेरा विचार संसद के समक्ष एक चर्चा पत्र लाने का है। मेरा उद्देश्य बुनियादी मुद्दों पर एक सर्वसम्मति बनाने में सहायता करना है ताकि हम आय में बढ़ोतरी और अपनी अर्थव्यवस्था में रोजगार का अपेक्षाकृत उच्च और स्थायी स्तर पर बनाए रखने के लिए और अधिक निर्णायक रूप से कार्य कर सकें।

संशोधित अनुमान 1998-99

अब मैं वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान पर आता हूँ।

आयोजना-भिन्न व्यय में 17,616 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। आयोजना के अंतर्गत 3631 करोड़ रुपए की कमी आई है। सरकारी विभागों की आयोजना-भिन्न व्यय केवल 2539 करोड़ रुपए बढ़ा है। अन्य वृद्धियां निवल अल्प बचत संग्रहणों, 9588 करोड़ रुपए के एवज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋणों, पेंशन, 2711 करोड़ रुपए, ब्याज भुगतान, 2248 करोड़ रुपए और डाक घाटा, 530 करोड़ रुपए के कारण हैं। मैं इस बात को दोहराता हूँ कि सरकारी विभागों में खर्च को 2539 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया है।

केन्द्र का निवल कर राजस्व, बजट में 116857 करोड़ रुपए की तुलना में 109537 करोड़ रुपए अनुमानित है जो 7320 करोड़ रुपए की कमी प्रदर्शित करता है। यह कमी मुख्यत: कम सीमाशुल्क राजस्व तथा कम औद्योगिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कम उत्पाद शुल्क राजस्व के कारण हुई। विनिवेश प्राप्तियां 5000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 8000 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।

इस प्रकार राजकोषीय घाटा तुलनीय सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों के आधार पर 5.6 प्रतिशत के बजट लक्ष्य की तुलना में सकल घरेलु उत्पाद के 6.5 प्रतिशत तक बढ़ना संभावित है। तथापि, अगर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लघु बचत के लिए ऋणों के कारण बजट में वृद्धि को छोड़ दिया जाए तो समायोजित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत होगा। श्री चिदम्बरम, यह वर्ष 1997-98 में 6.3 प्रतिशत है।

श्री पी. चिदम्बरम् (शिवगंगा) : यह वर्ष 1996-97 में 4.7 प्रतिशत था और वर्ष 1997-98 में 5.5 प्रतिशत था। आपने मेरे नाम की दुहाई दी है। ... *(व्यवधान)*

बजट अनुमान, 1999-2000

श्री यशवन्त सिन्हा : वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान में 284003 करोड़ रुपए का कुल व्यय अनुमानित है, जिसमें से 77000 करोड़ रुपए आयोजना और 207003 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न के लिए हैं।

आयोजना व्यय

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बजटीय सहायता 77000 करोड़ रुपए रखी गई है, जो संशोधित अनुमान, 1998-99 की तुलना में 8629 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाती है। प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 1999-2000 की आयोजना शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, सामाजिक कल्याण, आवास और जलापूर्ति जैसे बुनियादी मानव विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करती है। इस प्रकार, केन्द्रीय आयोजना, 1999-2000 के लिए 44,000 करोड़ रुपए की कुल सकल बजटीय सहायता में से 31,035 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की विशेष कार्य योजना के अधीन आने वाले 18 मंत्रालयों/विभागों को प्रदान किए गए हैं। कुल 103251 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय पिछले वर्ष के 88,482 करोड़ रुपए के स्तर से 15039 करोड़ रुपए अधिक होगा। केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान में 38,263 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 44,000 करोड़ रुपए की जा रही है।

संशोधित अनुमान 1998-99 की तुलना में आयोजना कार्यक्रमों के लिए बजटीय सहायता कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में काफी बढ़ी है। उदाहरण के लिए, यह वृद्धियां कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों में 34.5 प्रतिशत और सामाजिक सेवाओं में 21.9 प्रतिशत है।

वर्ष 1999-2000 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आयोजना सहायता, वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान में 30108 करोड़ रुपए की तुलना में 33000 करोड़ रुपए रखी गई है। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और झुग्गी झौंपड़ी विकास स्कीमों के लिए सहायता राशि 3684 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4043 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

पिछले वर्ष मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक कालातीत न होने वाले पूल की घोषणा की थी। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के बजट की बचतों में से पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 98 करोड़ रुपए पहले ही रिलीज कर दिए हैं।

आयोजना-भिन्न व्यय

वर्ष 1999-2000 में आयोजना-भिन्न व्यय वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान में 213541 करोड़ रुपए की तुलना में 207003 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। यह वास्तव में 232003 करोड़ रुपए हुआ होता परन्तु दिनांक 1.4.1999 से निवल लघु बचत संग्रहणों के एवज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण देने की लेखा प्रणाली में परिवर्तन किए जाने से ऐसा नहीं हुआ। यह परिवर्तन, जो लघु बचत स्कीमों की स्पष्टता और व्यवहार्यता के हित में है, केन्द्रीय राजकोषीय घाटे से लघु बचतों को असंबद्ध करने पर दिसम्बर, 1998 में अन्तर्राज्यीय परिषद में दिए गए सुझाव को मानते हुए किया गया है। श्री आर.वी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया। सिफारिशों के आधार पर और भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की सहमति से लेन-देन अब एक नई सृजित राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन लोक खाते में होगा, जो इन कार्यों की राजकोषीय बैंकिंग प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति माननीय सदस्यों के सूचनार्थ संसद के पुस्तकालय में रखी जा रही है।

आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि की मुख्य मदें ब्याज संदाय-10752 करोड़ रुपए, रक्षा व्यय-4494 करोड़ रुपए और राज्यों को अनुदान-3621 करोड़ रुपए हैं। रूग्ण और रुग्णता से उबर रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को मुख्यत: वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आयोजना-भिन्न ऋण के लिए 1735 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान में 41200 करोड़ रुपए की तुलना में रक्षा व्यय के लिए 45694 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान रक्षा मंत्रालय को आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता-आधारित बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राजस्व प्राप्तियां

अपने कर प्रस्तावों का विवरण देने से पूर्ण मैं अगर मौजूदा करों की दरें और टैरिफ जारी रहीं तो वर्ष 1999-2000 में राजकोषीय घाटे की स्थिति का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। सकल कर राजस्व तब 167526 करोड़ रुपए होगा और केन्द्र का निवल कर राजस्व 122730 करोड़ रुपए होगा। कर-भिन्न राजस्व के संशोधित अनुमान, 1998-99 में 48128 करोड़ रुपए से इस वर्ष बढ़कर 50475 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। केन्द्र के लिए कर-भिन्न प्राप्तियों सहित निवल राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान, 1998-99 में 157664 करोड़ रुपए से वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 173205 करोड़ रुपए हो जाएंगी। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से 10000 करोड़ रुपए की प्राप्ति को हिसाब में लेते हुए 89713 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होगा। यह अस्वीकार्य रूप से अत्यधिक है। अब मैं घाटा कम करने के लिए अपने प्रस्तावों की चर्चा करूंगा।

महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मैं अप्रत्यक्ष करों से शुरू करुंगा और इसमें उत्पाद शुल्क पहले है। अप्रत्यक्ष करों की विविध दरें सामान्यत: गलत-वर्गीकरण, कर-अपवंचन और बोझिल मुकदमेबाजी का मुख्य कारण मानी जाती हैं। यह अनेकरूपता संसाधनों के अकुशल आबंटन को भी प्रोत्साहित करती है। विश्व में 100 से अधिक देश अब मूल्य वर्धित कर (वैट) के लाभ प्राप्त कर रहे हैं और प्रत्येक मामले में दरों की संख्या काफी कम है।

मैंने अपने पिछले बजट में कर संरचना को युक्ति-संगत बनाने की समग्र-आवश्यकता का स्पष्ट रूप से संकेत दिया था ताकि दरों की अनेकरूपता को कम किया जा सके और "मेरिट" दर तथा "डिमेरिट" दर के साथ केन्द्रीय दर निर्धारण सुनिश्चित हो सके। हमारे अधिकांश प्रमुख उद्योग संघों ने भी तिहरे दर की उत्पाद शुल्क संरचना की मांग की है।

मेरे आज के उत्पाद शुल्क प्रस्ताव अधिकांशत: मेरे उस इरादे को पूरा करते हैं जिसकी घोषणा 9 महीने पहले की गई थी। विशेष रुप से मैं वर्तमान 11 बड़ी यथामूल्य दरों को कम करके 3 करने का प्रस्ताव करता हूँ अर्थात् 16% की केन्द्रीय दर, 8% की "मेरिट" दर और 24% की "डिमेरिट" दर। इसे प्राप्त करने के लिये मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

- 5%, 10% और 12% की वर्तमान दरों का 8% की वर्तमान दर में विलय;
- वर्तमान 13%, 15% और 18% दरों का विलय कर 16% की एक नई दर बनाना; और
- विद्यमान 25% की दर के स्थान पर 24% की एक नई दर निर्धारित करना।

माननीय सदस्यगण इस बात को देख सकते हैं कि मैंने पूर्व घोषित 18 प्रतिशत की केन्द्रीय दर को कम करके 16 प्रतिशत कर दिया है। इसका अर्थ, कम लागत एवं कीमत। यह एक सुखद संयोग है कि यह दर पाटिलपुत्र जो मेरा जन्म-स्थान भी है, के महान आचार्य कौटिल्य द्वारा सुझाई गयी 1/6(षड्भाग) दर के लगभग समान है।

परन्तु इस कठिन वर्ष में राजस्व की स्थिति को देखते हुए, मैं 30% और 40% की दर वाली वस्तुओं पर 24% की दर के ऊपर 6% और 16% के अधिभार (उत्पाद का विशेष शुल्क) के दो स्तर निर्धारित करना चाहता हूँ। इस प्रकार इन वस्तुओं पर कुल उत्पाद शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पेट्रोल पर 32% की कर दर जारी रहेगी। अधिभार संरचना इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि भविष्य में सरकार उसे धीरे-धीरे कम करके 24% की "डिमेरिट" दर पर ले आयेगी।

इन परिवर्तनों के फलस्वरूप अधिकांश वस्तुओं के लिये उत्पाद शुल्क दरें कम होंगी या मामूली रूप से 1% प्वाइंट बढ़ाकर उन्हें समायोजित किया जाएगा। मशीनरी और पूंजीगत मालों के एक बड़े क्षेत्र में जहां मूल दर 13% से बढ़कर 16% तक हो रही है, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि ऐसे उत्पादों पर उत्पाद शुल्क क्रेताओं के मामले में आशोधित मूल्य योजित कर योजना (मोडवेट) क्रेडिट के योग्य होगा। इसके अलावा पूंजीगत माल क्षेत्रक को सहायता पहुंचाने के लिये मेरे सीमा शुल्क प्रस्तावों में दीर्घ काल से चली आ रही विसंगतियों, जिनके कारण बड़ी सामग्रियों, इस्पात पर शुल्क दर तैयार पूंजीगत मालों की शुल्क दर से अधिक है, को दूर करना है। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि उत्पाद शुल्क कर संरचना का यह बड़ा सुधार मोटे तौर पर राजस्व निष्प्रभावी है। समग्र रूप से यह उद्योग पर अतिरिक्त कर बोझ नहीं डालता। मुझे विश्वास है कि इस बड़े सुधार से उत्पादकता, विकास और रोजगार में तेजी आएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने अगले प्रस्ताव पर आता हूँ। मैं उच्च गति-डीजल तेल (एच.एस.डी.) पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम

उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी मूल्य असामान्य रूप से कम हैं और ऐसा महसूस किया जाता है कि इस वस्तु के माध्यम से कुछ अतिरिक्त राजस्व अर्जित करना संसाधन जुटाने का एक सामयिक तरीका होगा। मैं आयातित एवं स्वदेशी एच.एस.डी. पर प्रति लीटर 1 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसका राजस्व संपूर्ण रूप से केन्द्र को प्राप्त होगा। पैट्रोलियम मंत्री देते हैं और वित्त मंत्री लेते हैं। मैं इसका आधा हिस्सा ग्रामीण विकास एवं सामाजिक क्षेत्रकों में किये जाने वाले कार्यों हेतु आंबटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस शुल्क का 50 पैसे का अन्य हिस्सा तथा 2.6.1998 से लगाए गए 1 रुपये प्रति लीटर का शुल्क सांविधिक उपकर में परिवर्तित किया जाएगा और केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरित किया जाएगा। यदि श्री संगमा यहाँ हैं, तो खुश होंगे क्योंकि वह इस मुद्दे को इस सभा में उठाते रहे हैं। निधि का 30 प्रतिशत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य सड़कों को हस्तान्तरित किया जाएगा। बकाया निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस मार्गों के विकास एवं अनुरक्षण, रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण और बिना कर्मचारी वाले रेलवे क्रासिंगों पर रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाएगा। इससे 1999-2000 के लिए रेलवे मंत्रालय के आयोजना संसाधनों का अन्तराल दूर होगा जिसका रेल मंत्री ने उल्लेख किया था। यह अनुमान लगाया गया है कि हम वर्ष मे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में 4591 करोड़ रुपये और स्वदेशी रूप से उत्पादित एवं आयातित एच.एस.डी. पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में 363 करोड़ रुपए की धनराशि का संग्रहण कर सकेंगे। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एच.एस.डी. के मूल्य में इससे होने वाले परिवर्तनों की आज घोषणा करेगा। इससे काफी हद तक 13 मई, 1988 के संकल्प में परिलक्षित संसद की इच्छा का सम्मान भी हो सकेगा जिसमें पैट्रोल और डीजल पर उत्पाद और सीमा शुल्कों का एक हिस्सा सड़कों के विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए निर्धारित करने की परिकल्पना की गयी थी।

पिछले बजट में विनिर्माण यूनिटों के लिये "मोडवेट" समायोजन को 95% पर रखा गया था। मैं "मोडवेट" दावों पर इस सीमा को हटाने और 100% पुन: बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय मेरे बजट प्रस्तावों में लघु उद्योग क्षेत्रक के लिये एक पैकेज भी है जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

> सौन्दर्य प्रसाधन, रेफ्रीजरेशन और वातानुकूलन उपस्कर का विनिर्माण करने वाले यूनिटों के लिये विशिष्ट उत्पाद शुल्क रियायत स्कीमों के अंतर्गत मैं यह प्रस्ताव करता हूँ: पात्रता मानदण्ड के अंतर्गत 50 लाख रुपये के कारोबार को दुगुना करके 100 लाख रुपये करना, शुल्क मुक्त छूट स्लैब को 15 लाख रुपये से दुगुना करके 30 लाख रुपये करना और सामान्य दरों की तुलना में आधे शुल्क के लिये योग्य स्वीकृतियों के मामले में 15 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना।
>
> मैं सूती धागा तैयार करने वाले छोटे यूनिटों के लिये लघु उद्योग छूट सीमा का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूँ।
>
> मैं ग्लेज्ड टाइलों की छपाई में लगे छोटे उजरती कार्य श्रमिकों के लिये उत्पाद शुल्क की छूट का प्रस्ताव करता हूँ।

इस समय लघु उद्योग यूनिटों को ऐसे उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की छूट प्राप्त नहीं है जो दूसरे विनिर्माता के ब्राण्ड नाम का उपयोग कर रहे हैं। मैं दूसरे विनिर्माता के ब्राण्ड नाम वाले सामान पर लघु उद्योग छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ यदि ऐसा सामान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित यूनिटों द्वारा तैयार किया जा रहा हो। स्कीम के विवरणों की घोषणा शीघ्र की जाएगी।

वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत सभी विनिर्माण यूनिटों को अपने विनिर्माण परिसरों से माल की निकासी के समय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आगे और सरल बनाने के उपाय के रूप में लघु उद्योग यूनिटों को 1.6.1999 से मासिक आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। प्रक्रिया के सरलीकरण का एक महत्वपूर्ण कदम होने के अलावा इस परिवर्तन से लघु उद्योग क्षेत्रक में विनिर्माण यूनिटों की भुगतान कर सकने की स्थिति में भी सुधार होगा।

फैक्ट्रियों द्वारा उत्पाद शुल्क रिकार्ड रखने की आवश्यकता के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रियात्मक छूट का भी मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ। अब आगे से वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक उत्पाद शुल्क का भुगतान करने वाली फैक्ट्रियों को उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रारूप में अपना रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी और उनके सामान्य कार्य संचालन के दौरान रखे गये रिकार्ड को पर्याप्त माना जाएगा। यह संशोधन 1.6.99 से लागू होगा।

इस समय अनेक ऐसी वस्तुयें हैं, जिन्हें उत्पाद शुल्क से या तो पूर्ण छूट दी गई है या रियायती उत्पाद शुल्क लगाया गया है। यह रियायतें गत समय में उस वस्तु से संबंधित तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए दी गई थीं। शुल्कों की आम दरों में कमी आने से ऐसी छूटों एवं रियायतों की आवश्यकता नहीं रह गई है। फिर भी प्रत्येक विशिष्ट मामले से संबंधित परिस्थितियों का आकलन करने और इन रियायतों को जारी रखने या समाप्त करने के प्रश्न पर सुविचारित सिफारिशें प्राप्त करने के लिये मैं एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो इन बातों की जांच करेगी और सलाह देगी कि कहां छूटें जारी रखी जानी चाहिए और कहां उन्हें नई दर संरचना में एकीकृत किया जाना चाहिए। इसकी रिपोर्ट अगले बजट में विचार के लिये उपलब्ध होगी।

जैसा कि माननीय सदस्यगण इस बात को जानते हैं कि उत्पाद शुल्क से तदर्थ छूट देने के लिये सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं। मैं इसे व्यापक स्वविवेकाधिकार को आवश्यक नहीं समझता। अत: मैं सामरिक या गोपनीय प्रकार के सामान या चैरिटेबल प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रकार के सामान के लिये उत्पाद शुल्क की तदर्थ छूट देने की सरकार की शक्तियों को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। सीमा शुल्क के मामले में भी मैं शक्तियां इसी प्रकार समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब सीमा शुल्क से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूँ। मेरे प्रस्ताव यहां अलग-अलग विचारणाओं के संतुलन को प्रदर्शित करते हैं। एक ओर हम विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था के सुविचारित एकीकरण के प्रति वचनबद्ध हैं। इसमें एशियाई स्तरों तक हमारे सीमा शुल्क को क्रमिक रूप से नीचे लाना निहित है। दूसरी ओर राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता है और वास्तविकता यह है कि विश्व की अर्थ-व्यवस्था में एक वर्ष में असाधारण विक्षोभ एवं अनिश्चितता के परिप्रेक्ष्य में हमारे उद्योग को आयातों से उत्पन्न असामान्य रूप से बड़े प्रतिस्पर्धात्मक दबाव से मुकाबला करने हेतु तैयार होना चाहिए।

महोदय, 1996-97 के बजट में 2% का एक विशेष सीमा शुल्क लगाया गया था और 1997-98 में कुछ वस्तुओं पर 3% का विशेष सीमा शुल्क लगाया गया था। यह 5% का विशेष सीमा शुल्क 31.3.1999 तक लागू है। एक अन्य चर्चा के दौरान मैंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि इस विशेष सीमा शुल्क की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। मैं यह घोषणा करता हूँ कि कल से 5% विशेष सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।

विभिन्न संभावनाओं की सावधानीपूर्वक जांच करने और वाणिज्य एवं उद्योग के शीर्षस्थ संगठनों के साथ गहन बातचीत के बाद मैं सीमा शुल्क की वर्तमान 7 बड़ी यथामूल्य दरों को कम करके 5 मूल दरें रखने का प्रस्ताव करता हूँ। नई दरें इस प्रकार होंगी:

- 5% जो अपरिवर्तित रहेगी

- वर्तमान 10% की दर के स्थान पर 15%

- 20% और 25% की दर का विलयन कर 25%

- 30% और 35% दरों का विलय कर 35%

- 40% जो अपरिवर्तित रहेगी।

एक ऐसा उद्योग जिस पर सीमा शुल्क की विशेष कर-प्रणाली लागू होगी वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक है। प्रधान मंत्री ने नई शताब्दी एवं सहस्त्राब्दि में देश के विकास के लिये इस क्षेत्रक के महत्व पर बार-बार जोर दिया है। तद्नुसार मैं इस क्षेत्रक में, अनेक महत्वपूर्ण सामग्रियों जैसे आई.सी और माइक्रो असेम्बली, भण्डारण साधन और सी.डी. रोम्स, दूरसंचार उपस्कर और ऑप्टिकल फाइबर की शुल्क दर में महत्वपूर्ण कटौतियों का प्रस्ताव कर रहा हूँ। हमारे 'उभरते हुए उद्योग' हमारे देश के लिए एक नई सुबह लेकर आएं।

देश की कम न की जा सकने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राजस्व जुटाने हेतु मैं निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर सभी वस्तुओं पर 10% की समान दर से अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

- कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद;

- वे मदें जिन पर 40 प्रतिशत की दर से मूल शुल्क लगता है;

- जी.ए.टी.टी (गैट) करार के अन्तर्गत आने वाली कतिपय मदें; और

- सोना और चांदी;

अधिभार के प्रभाव से मूल दर में 10 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। इस प्रकार 5 प्रतिशत की मूल दर 5.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर 16.5 प्रतिशत हो जाएगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विशेष सीमा शुल्क को समाप्त किया जा रहा है और कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों को अधिभार से छूट प्रदान की जा रही है, इन उत्पादों पर प्रभावी आयात शुल्क दरें कम हो जाएंगी। यह तयशुदा समय सीमा में इन उत्पादों पर अप्रत्यक्ष करों को युक्तिसंगत बनाने की सरकार की सर्वसम्मत नीति के अनुरूप है।

उन मदों जिन पर 40 प्रतिशत की दर से मूल शुल्क लागू है, छूट प्रदान करने से संरक्षात्मक सीमा शुल्क की सर्वोच्च दर में 45 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की मामूली लेकिन स्पष्ट कमी की गई है।

अध्यक्ष महोदय, सैद्धान्तिक तौर पर मैं शून्य सीमा शुल्क के खिलाफ हूँ क्योंकि हमारे स्वदेशी उद्योग को आमतौर पर कुछ न्यूनतम संरक्षण की आवश्यकता है। मैंने ऐसी वस्तुओं की सम्पूर्ण सूची की पुनरीक्षा की है और मैं कुछ ऐसी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसी मदों जिन्हें पहले छूट प्राप्त थी, पर 5 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, मैं इस श्रेणी को मौजूदा 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं परियोजना आयातों की आयात शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बना रहा हूँ। यौक्तिकीकरण की इस प्रक्रिया के अन्तर्गत, विद्युत उत्पादन, कोयला खनन, तेल शोधन, दूर-संचार और उर्वरक परियोजनाओं पर अब केवल 5 प्रतिशत का मामूली आधारिक सीमा शुल्क लगेगा। परन्तु उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की लागू दरें जारी रखी जाएंगी। अधिकांश मामलों में इन परिवर्तनों का निवल प्रभाव अधिक नहीं होगा। केवल विशाल विद्युत परियोजनाएं भी इसका अपवाद होंगी।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में अप्रत्यक्ष करों के संबंध में किए गए विभिन्न प्रस्तावों के परिणामस्वरूप वर्ष 1999-2000 में अनुमानित राजस्व 6,234 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन संग्रहण के घटक सहित 1,17,625 करोड़ रुपये होगा।

पिछले वर्ष मैंने उत्पाद और सीमा शुल्क से संबंधित अग्रिम निर्णयन प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की थी। आवश्यक विधायन इस वित्त विधेयक में शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर से संबंधित अग्रिम निर्णयन प्राधिकरण की तर्ज पर ही प्रस्तावित प्राधिकरण महत्वपूर्ण मुद्दों पर बाध्यकारी निर्णय देगा, ताकि इच्छुक निवेशकर्ताओं को अग्रिम रूप से अपनी शुल्क देनदारी का स्पष्ट आभास हो सकेगा।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक "विजन डॉक्यूमेंट" और "सिटिजन्स चार्टर" अपनाया है, जो सम्मिलित रूप से उस भविष्य की रूपरेखा और उन सेवा मानकों को पेश करते हैं जिनकी उम्मीद सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग से की जा सकती है। चार्टर में निर्धारित सेवा मानकों के अनुपालन की बारीकी से मानीटरिंग की जा रही है। सीमा शुल्क आयुक्तों और फील्ड स्तर के अधिकारियों को ये निदेश दिए गए हैं कि वे अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाएं और उन्हें यह भी बताया गया है कि गैर-अनुपालन की स्थिति को उनके प्रतिकूल माना जाएगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्र में मूल्य-निर्धारण और लेखा परीक्षा प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और शीघ्र ही विवरणियों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का कार्य चालू किया जाना प्रस्तावित है।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्कों में प्रस्तावित परिवर्तनों को कार्यरूप देने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय सदन के पटल पर रखी जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों की तरफ आता हूं।

अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए उदारीकरण के साथ ही औद्योगिक पुनर्संरचना की आवश्यकता भी सामने आई है ताकि कम्पनियां अपने मुख्य क्रियाकलापों

पर स्वयं को बेहतर ढंग से केन्द्रित कर सकें। निगमित क्षेत्रक, व्यापार पुनर्गठन के विनियमन के लिए एक लचीली राजकोषीय नीति की आवश्यकता की आवाज उठाता रहा है। इस आवश्यकता के प्रत्युत्तर में मेरा आयकर अधिनियम में व्यापक तौर पर संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि व्यापार पुनर्गठनों को पूरी तरह कर-निष्प्रभावी बनाया जा सके। कम्पनियों के समामेलन की स्थिति में प्रस्ताव को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के माध्यम से चलाए जाने की वर्तमान अपेक्षा को हटाया जा रहा है। कानूनी उपबंध में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि कर रियायतों के लिए पात्रता यह है कि सभामेलित कम्पनी में समामेलन करने वाली कम्पनी की अचल परिसम्पत्तियों का कम ये कम 75 प्रतिशत हो और इस शर्त पर कि समामेलित कम्पनी कम से कम 5 वर्ष तक समामेलक कम्पनी का कारोबार जारी रखेगी। सांविधिक उपबन्ध से उपलब्ध शक्तियों के अधीन बाद में जारी किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए आय-कर अधिनियम के संशोधन के जरिए एक सामर्थ्यकारी उपबंध की व्यवस्था की जाएगी।

अलग होने की स्थिति में मेरा एक कानूनी उपबंध पेश करने का प्रस्ताव है जिससे कि संचित हानियों और खपाए न गए मूल्यह्रास को पृथक होने वाली कम्पनी से पारिणामिक कम्पनी के पास ले जाने की अनुमति दी जा सके। मेरा कानूनी उपबंधों में संशोधन का भी प्रस्ताव है ताकि लेन-देनों के परिणामस्वरूप न तो संलिप्त कम्पनियों, न ही शेयर होल्डरों को लेन-देनों के परिणामस्वरूप पूंजी लाभ कर देना पड़े। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव है कि सभी राजकोषीय रियायतें समामेलन और पृथक्कीकरण की स्थिति में बची हुई अवधि के लिये जारी रहें।

अध्यक्ष महोदय सरकार पूंजी बाजारों में निरन्तर छाई मन्दी से बहुत अधिक चिन्तित है। सरकार भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के संबंध में निवेशकर्ता जनता के कुछ तबकों की नकारात्मक धारणा से भी चिन्तित है। श्री दीपक पारिख की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर और इस क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा बड़ी संख्या में प्रस्तुत सुझावों पर भी गौर करने के बाद, भारतीय यूनिट ट्रस्ट में शेयरधारकों के विश्वास की बहाली के लिए और आमतौर पर पूंजी बाजारों में जान डालने के लिए मैं अब एक बड़े राजकोषीय पैकेज का प्रस्ताव करता हूँ।

सर्वप्रथम मैं निवेशकों के हाथों में प्राप्त भारतीय यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल निधियों से सभी आय को आय कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे न केवल कर का प्रभावक्षेत्र घटेगा वरन छोटे निवेशकों के सामने कर की अदायगी करने और ऐसे निवेशों से हासिल आय के सम्बन्ध में वापसी का दावा करने में पेश आ रही असुविधाओं को दूर किया जा सकेगा।

वर्तमान में यदि निवेशकों के हाथ की आय पूरी तरह कर से मुक्त है तो यह आय भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल निधियों द्वारा लाभांश के वितरण की अवस्था में आयकर अधिनियम की धारा 115 (ण) के अधीन लाभांश कर के तहत आती है। नीति से हटकर और पैकेज के दूसरे घटक के रूप में, मैं यू एस-64 स्कीम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंडों की उन सभी खुली इक्विटी आधारित स्कीमों, जिनका 50 प्रतिशत से अधिक निवेश इक्विटी में है, के लिए लाभांश कर से 3 वर्ष तक छूट जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, उन म्यूचुअल फंडों जिनमें इक्विटी निवेश 50 प्रतिशत से कम है, को वितरित आय पर 10 प्रतिशत लाभांश कर देना होगा।

इन दो कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल निधियों में निवेश अधिक आकर्षक बन सकेगा और इक्विटी आधारित स्कीमें उन स्कीमों की अपेक्षा अधिक आकर्षक बन सकेंगी जिनमें इक्विटी निवेश 50 प्रतिशत से कम है। इससे छोटे निवेशकों की पूंजी बाजार में वापसी को बढ़ावा मिलेगा और उनके विश्वास की बहाली होगी।

एक शिकायत अक्सर उठाई जाती रही है कि निवासी और अनिवासी भारतीयों के बीच शेयरों और प्रतिभूतियों के अन्तरण पर दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर की दर में भेदभाव किया गया है। निवासी भारतीयों के लिए दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ की वर्तमान दर 20 प्रतिशत है जो मुद्रास्फीति सूचकांक की लागत के संदर्भ में परिकलित पूंजी अनुलाभों के एक कल्पित मूल्य से जुड़ी है। परन्तु अनिवासी भारतीयों के लिए दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर की दर केवल 10 प्रतिशत है। इस शिकायत के जवाब में, अब मैं इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं जिससे कि निवासी भारतीयों के लिए शेयरों और प्रतिभूतियों के अन्तरण पर दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर की अधिकतम दर 10 प्रतिशत पर निर्धारित की जा सके।

अर्थव्यवस्था के कुछ 'नवोदित' क्षेत्रकों में प्रबन्धन अपने कर्मचारियों को स्टॉक विकल्पों और "स्वेट इक्विटी" की पेशकश करने की नीति अपना रहा है। ऐसे लेनदेनों का कर-निर्धारण कुछ हद तक अस्पष्ट है। अत: मेरा कानून में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह बात सन्देह से परे रहे कि ऐसे स्टॉक विकल्पों पर कर्मचारी द्वारा विकल्प के प्रयोग के समय पूर्वापेक्षा के रूप में और बाद में प्रतिभूति की बिक्री के समय पूंजी अनुलाभों के रूप में कर लगाया जाएगा। इन संशोधनों से मुझे आशा है कि ऐसे लेन-देनों से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों में मौजूद अस्पष्ट पहलुओं को स्पष्ट कर दिया जाएगा।

उच्च तकनीकी क्षेत्रकों में तेजी लाने और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सहायता देने के लिए जोखिम पूंजी क्रियाकलापों में अधिक निवेश करने की अत्यन्त आवश्यकता है। हाल ही में हमने समयबद्ध निवेश और न्यूनतम निधि रोध की अपेक्षा को हटाकर विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत मार्गनिर्देशों में छूट दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ जोखिम पूंजी क्रियाकलापों के पूंजीकरण और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए मैं मार्गनिर्देशों में सामंजस्य भी कर रहा हूँ। इससे दोनों संगठनों के पास पंजीकरण के मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित होगी। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से जोखिम पूंजी स्कीम का आकर्षण बढ़ेगा और 'नवोदित' क्षेत्रकों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए अपनी निधियां लगाने की दिशा में उच्च निवल सम्पत्ति वाले निवेश को प्रेरणा मिलेगी।

अभी हाल ही में शेयरों की वापसी खरीद से सम्बन्धित लेनदेनों की अनुमति देने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है। कानून की इस व्याख्या में कुछ अस्पष्टता है कि क्या ऐसे लेन-देनों की पूंजी अनुलाभ कर के अतिरिक्त लाभांश कर के अधीन भी समझा जाएगा। इसके मद्देनजर मेरा इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि यह बात सन्देह से परे रहे कि शेयरों की वापसी खरीद पर शेयरधारकों को लाभांश कर नहीं देना होगा और वे केवल पूंजी अनुलाभ कर के देनदार होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस बजट के एक अन्य विशेष ध्यानाकर्षण के क्षेत्र अर्थात आवास क्षेत्रक की ओर लौटना चाहूंगा। मैं इस क्षेत्रक के

सम्बन्ध में राजकोषीय प्रोत्साहनों के एक व्यापक पैकेज का प्रस्ताव करता हूं जो निम्नलिखित पर केन्द्रित है:

* आवास खरीदने की इच्छा रखने वाले मध्यमवर्गीय निवेशक;

* मध्यम आय आवास परियोजनाओं के प्रमोटर; और

* स्वदेशी वित्त कम्पनियां।

इस पैकेज के पहले घटक के रूप में, मेरा यह प्रस्ताव है कि स्वयं के कब्जे वाली सम्पत्ति के लिए ऋण पर ब्याज को 30,000 रुपए की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 75,000 रुपए की सीमा तक कर से छूट प्रदान की जाए। इस रियायत से मध्यमवर्गीय निवेशकों को अपना स्वयं का छोटा घर खरीदने के वास्ते ऋण लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इस प्रोत्साहन पैकेज का दूसरा घटक आयकर अधिनियम की धारा 80झक के अधीन करावकाश का लाभ उठाने की आवसीय परियोजनाओं की स्कीम से संबंधित है। मौजूदा उपबन्धों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि रिहायशी इकाइयों का निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गफुट से अधिक नहीं होना चाहिए। कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मुम्बई और दिल्ली को छोड़कर अन्य शहरों में भूमि की लागत सापेक्ष रूप से कम है और इसलिए इस पूंजी व्यय से निवेशक अपेक्षतया कुछ बड़े आकार की रिहायशी इकाइयों की खरीद करने में सक्षम हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया गया है कि स्वीकृत परियोजनाओं में रिहायशी इकाइयों के लिए निर्मित क्षेत्रों से सम्बद्ध उच्चतम सीमा को मुम्बई और दिल्ली को छोड़कर सभी स्थानों पर 1000 वर्गफुट से बढ़ाकर 1500 वर्गफुट कर दिया जाए। मैं इस सुझाव को स्वीकार करने और कानून में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। इस स्कीम में आवास परियोजनाओं को आधारभूत क्षेत्र के रूप में मानने सम्बन्धी इस संशोधन से मुझे विश्वास है कि इससे छोटे शहरों में निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आवास वित्त कम्पनियां वित्तीय रूप से सक्षम हों। वर्तमान में ऐसी वित्त कम्पनियों को संचित आधार पर ऋणों से प्राप्त ब्याज पर कर देना होता है। ऐसी आवास वित्त कम्पनियों पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए मैं कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ऐसी कम्पनियों की आय संचित आधार के बजाय वास्तविक आधार के पर कर योग्य होगी।

बड़े शहरों में आवास चाहने वाले लोगों की संख्या का एक बड़ा भाग व्यापार क्षेत्र के कर्मचारियों से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि व्यापारिक क्षेत्रक को अपने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि बड़ी संख्या में आवास निर्माण हो सके। इस भावना को ध्यान में रखते हुए मैं व्यापारिक क्षेत्रक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए खरीद किए गए नए रिहायशी इकाइयों पर ह्रास दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मुझे आशा है कि आवास निर्माण क्षेत्रक के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों से सम्बद्ध यह सम्पूर्ण पैकेज सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करेगा। निर्माण क्षेत्रक का कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेष रूप से इस्पात और सीमेंट के साथ घनिष्ठ संबंध है। निर्माण गतिविधियों में सामान्य तेजी से न केवल देश में आवासों की संख्या में बढ़ोतरी होगी बल्कि इसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आयेगी।

कुछ बैंकों में गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां बड़ी मात्रा में मौजूद होने के सम्बन्ध में कुछ हलकों में शंकाएं व्यक्त की गयी हैं। मेरा विचार है कि बैंक अपने खातों को स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने का पूरा प्रयास करें और लेखों की पारदर्शिता के सम्बन्ध में यदि कोई शंका मौजूद हो तो उसे दूर करें। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में ऐसी राशियों पर कर कटौती का प्रस्ताव करता हूं जिसे बैंकों द्वारा 'सन्देहास्पद ऋणों' के रूप में दिखाया गया है लेकिन यह किसी भी एक वर्ष में ऐसे कुल 'सन्देहास्पद ऋणों' का अधिकतम 5 प्रतिशत तक होगा। यह रियायत ऐसे 'सन्देहास्पद ऋणों' के सम्बन्ध में जिनकी पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेक-सम्मत मानदंडों के अन्तर्गत की गयी है, 5 वर्षों के लिए उपलब्ध रहेगी।

मैं कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ऋणकर्ता द्वारा सहकारी बैंक को संचयी आधार के बजाय वास्तविक आधार पर किए गए ब्याज भुगतान पर उसे कर रियायत मिल सके। इस प्रस्ताव से ऋणकर्ताओं को कर लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी ब्याज देयता की समय पर पुनः अदायगी करने की प्रेरणा मिलेगी और तद्नुसार सहकारी बैंकों की वित्तीय दशा में सुधार की भी आशा की जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आधारभूत तथा उद्योग क्षेत्रकों से सम्बन्धित प्रस्तावों की तरफ बढ़ता हूँ।

मैं कृषि उत्पादों से सम्बन्धित शीत भण्डारण व्यवस्था के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80झक के अन्तर्गत करावकाश के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति अत्यधिक नाजुक है। अनेक राज्य विद्युत बोर्ड पृथक कम्पनियों को विद्युत के उत्पादन पारेषण और वितरण सम्बन्धी कार्य सौंपकर इस स्थिति से निजात पाना चाहते हैं। मैं दिनांक 1-4-1999 के बाद स्थापित विद्युत के पारेषण तथा वितरण कार्यों को आधार सुविधा इकाइयों के लिए उपलब्ध राजकोषीय प्रोत्साहन पाने का पात्र मानने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव से राज्य विद्युत बोर्डों की पुनर्सरचना तथा पुनर्वास कार्य में सुविधा होगी।

इस समय, आधारभूत संरचना क्षेत्रक तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 80झक के अन्तर्गत दी जा रही कर-रियायत को निर्धारित अधिकतम अवधि सीमा के अंदर उपयोग करना होता है। कर रियायत के सम्बन्ध में दी गई यह अधिकतम अवधि क्षेत्रक-वार भिन्न-भिन्न होती है। इसमें एकरूपता लाने के लिए, मैं आयकर अधिनियम में संशोधन लाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि अधिकतम 15 वर्षों की समयावधि में इकाइयां आधारभूत तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की इकाइयों को प्रदत्त कर रियायत का उपयोग कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के प्रति सजग हूं कि हमारी सम्पूर्ण घोषणाओं के बावजूद, पूर्वोत्तर क्षेत्र का औद्योगिक विकास हमारी आशानुरूप नहीं हुआ है। देश के इस भाग में औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए मैं ऐसे सभी उद्योगों में 10 वर्ष का करावकाश प्रदान

करने का प्रस्ताव करता हूं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास केन्द्रों, औद्योगिक आधारभूत विकास निगमों तथा अन्य विनिर्दिष्ट उद्योगों में स्थापित हैं। मैं इस देश के उद्यमियों से आग्रह करूंगा कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं तथा इस क्षेत्र में आधुनिक, उच्च मूल्यवर्धित विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करें।

भारतीय मनोरंजन उद्योग जिसमें फिल्म, संगीत तथा टेलीविजन साफ्टवेयर शामिल हैं, दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अपनी सृजनात्मक शक्ति तथा प्रतिभा के बल पर भारत विश्व में मीडिया के क्षेत्रक में महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। हमने कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और यही सफलता मनोरंजन उद्योग के उत्पादों विशेष रूप से फिल्म, टी.वी. साफ्टवेयर तथा संगीत के विकास तथा निर्यात के सम्बन्ध में भी प्राप्त की जा सकती है। इस क्षेत्रक में भारत को महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए मेरा उद्देश्य इस क्षेत्रक को भी वही सुविधाएं तथा कर लाभ प्रदान करना है जो धारा 80जजग के अन्तर्गत मालों और तिजारती वस्तुओं के निर्यात के लिए उपलब्ध हैं।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय मनोरंजन उद्योग को "दिल से" सहायता प्रदान करने का हमारा प्रयास रहेगा और मुझे पूरी आशा है कि मनोरंजन उद्योग को सरकार से अब यह नहीं कहना पड़ेगा कि "हम आपके हैं कौन"।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कुछ-कुछ होता है।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक हमारे भविष्य का क्षेत्रक बनने वाला है। आसन्न संकट जो इस क्षेत्र के ऊपर मंडरा रहा है, वह "वाई 2 के" समस्या से जुड़ा है जो चालू कैलेंडर वर्ष के अन्त में हम पर प्रहार करेगा। मेरा यह समझना है कि निगमित क्षेत्रक को इन खतरों की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है जो इस समस्या के कारण उनके सामने खड़े हैं। ऐसी परिस्थितियों में, व्यापारिक क्षेत्रक को "वाई 2 के" समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यवस्था को "वाई 2 के" की अनुगामी बनाने के लिए जो सम्पूर्ण व्यय किया है उसे आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में मानने की स्वीकृति दी जाए। व्यापारिक क्षेत्रक से मेरा आग्रह है कि वे इस रियायत का फायदा उठाएं तथा अपने साफ्टवेयर प्रणाली में मौजूद दोष को दूर करने का हर संभव प्रयत्न करें नहीं तो उनका बहुमूल्य आंकड़ा आधार पूर्णतया गड़बड़ा जाएगा।

मौजूदा कानून के अन्तर्गत, 31-3-2000 तक निगमित घरानों को अपने अन्तरंग अनुसंधान तथा विकास पर किए गए व्यय की 125 प्रतिशत की भारित कटौती उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह अवधि किसी भी कम्पनी के लिए अपने अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने हेतु काफी कम है। मैं अन्तरंग अनुसंधान तथा विकास पर प्रदान की जाने वाली इस रियायत को 31-3-2005 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा, मैं अनुसंधान तथा विकास की अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों को सौंपी गयी परियोजनाओं के लिए इसी प्रकार व्यय की 125 प्रतिशत भारित कटौती की रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था में, भविष्य उनका है जो प्रौद्योगिकी के विकास में अग्रणी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैं निगमित क्षेत्रक से आग्रह करूंगा कि वे इस सुविधा का अधिकतम सीमा तक उपयोग करें।

पिछले कुछ वर्षों में, प्रत्यक्ष कर विभाग ने राष्ट्रीय कर आधार को विस्तृत करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। सम्भावित करदाताओं की पहचान करने के लिए, "छह में एक" योजना को वर्ष 1998-99 में 35 शहरों में विस्तारित किया गया। इस योजना से काफी सन्तोषप्रद परिणाम निकले हैं। इस योजना को संचालित करने के परिणामस्वरूप, एक वर्ष की समयावधि में करदाताओं की संख्या 120 लाख से बढ़कर 140 लाख हो गयी। विभाग का यह आकलन है कि और अधिक करदाताओं को पंजीकृत करने की काफी गुंजाइश है। इस योजना के अनुकूल परिणामों को देखते हुए, मैं अब इस योजना का ऐसे 19 और शहरों में विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है।

पिछले बजट से आयकर विभाग ने करदाता आवेदकों को "पैन" (स्थायी खाता संख्या) जारी करने का अभियान चलाया है। इस योजना के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है और हमें 168 लाख तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अपेक्षित 'पैन' पहले ही 75 लाख करदाताओं को जारी किए जा चुके हैं और हमें विश्वास है कि शेष आवेदन पत्रों का आगामी कुछ महीनों में निपटान कर लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन प्रस्तावों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो समाज के उन वर्गों के लिए हैं जिनके संबंध में सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, मैं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए की गयी कटौती को मौजूदा 10,000 रुपए के स्तर से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने और विशिष्ट बीमारियों के इलाज के संबंध में कर कटौती को 60,000 रुपए तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस बात को देखते हुए कि चिकित्सा एवं अस्पताली खर्च में वृद्धि हो गयी है और जीवन की अवधि में भी सुधार हुआ है, सामान्य बीमा उद्योग का इरादा मेडिक्लेम पालिसी के अन्तर्गत बीमित धनराशि की उच्च सीमा वर्तमान 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने और कवरेज के लिए मौजूदा 75 वर्ष बढ़ाकर 80 वर्ष करने का है। दूसरा, कामकाजी महिलाओं की हॉस्टल परियोजना के संबंध में किया गया व्यय आयकर अधिनियम की धारा 35कग के अंतर्गत कर योग्य आय से कटौती के योग्य होगा। तीसरा, मैं विभिन्न शौर्य पुरस्कार विजेताओं द्वारा प्राप्त पेंशन तथा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन को आय कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

अपराह्न 12.47 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अब प्रत्यक्ष करों पर अपना अन्तिम प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ, मेरे सामने एक ओर राजस्व एवं राजकोषीय घाटों को नियमित करने और दूसरी ओर बढ़ते हुए विकास व्यय को पूरा करने का कठिन काम है। मैं इस कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव करता हूँ और साथ ही समान रूप से इस बोझ की साझेदारी सुनिश्चित करता हूँ। मैं समाज के उन वर्गों से ही एक छोटी मांग कर रहा हूँ जिनके पास भुगतान करने की क्षमता है जबकि कम आय वालों को इससे छूट दे रहा हूँ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी कम्पनी करों पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने

और साथ ही कर निर्धारितियों के अन्य सभी वर्गों पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूं। व्यष्टियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों के संबंध में, इस अधिभार की प्रयोज्यता उन लोगों तक सीमित है जिनकी कुल आय 60,000 रुपए अथवा अधिक है। वास्तव में, इस अधिभार का तात्पर्य 20 प्रतिशत के स्लैब में 2 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत के स्लैब में 3 प्रतिशत की सीमान्त बढ़ोतरी करना होगा इससे 10 प्रतिशत की स्लैब में मौजूदा दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह अस्थाई अधिभार के रूप में है। मुझे विश्वास है कि सदन और हमारे नागरिक उन परिस्थितियों को समझेंगे जिनके अंतर्गत मुझे यह प्रस्ताव पेश करना पड़ा।

निष्कर्ष रूप में, उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष करों के संबंध में इस बजट में किए गए विभिन्न प्रस्तावों के फलस्वरूप वर्ष 1999-2000 में 59,235 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें 3100 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त संसाधन जुटाना भी शामिल है।

अब मुझे अपने माननीय सहयोगी संचार मंत्री की तरफ से कुछ कहना है। डाक सेवा बड़े पैमाने पर रोजगारपरक है और वेतन तथा भत्ते डाक विभाग के प्रचालनात्मक खर्चों का एक मुख्य हिस्सा होते हैं। इसलिए, कुछ डाक सेवाओं के लिए शुल्क में संशोधन अपरिहार्य हो गया है। तथापि, आम आदमी के हित में और समाचार तथा सूचना के आसानी से संप्रेषण में डाक सेवाओं की भूमिका को देखते हुए पोस्टकार्ड, मनीआर्डर, मुद्रित पुस्तकों वाले पुस्तक के पैकटों तथा पंजीकृत समाचार पत्रों के शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परन्तु, मुद्रित पोस्टकार्ड की दर 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2.00 रुपए, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड की दर 3.00 रुपए से बढ़ाकर 4.00 रुपए, अन्तर्देशीय पत्र 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2.00 रुपए, प्रथम 50 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पुस्तक के आकार के तथा छोटे पैकेट के लिए 1.00 रुपए से बढ़ाकर 2.00 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए 2.00 रुपए से बढ़ाकर 3.00 रुपए और प्रत्येक 500 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पार्सलों की दर 10.00 रुपए से बढ़ाकर 12.00 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 500 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए 10.00 रुपए से बढ़ाकर 15.00 रुपए की जा रही है। कुछ अन्य परिवर्तन भी किए जा रहे हैं जिन्हें बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित ज्ञापन में बताया गया है। ये परिवर्तन वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे। प्रस्तावित संशोधनों से पूर्ण वर्ष में लगभग 145 करोड़ रुपए और वर्ष 1999-2000 के दौरान लगभग 121 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस मामूली बढ़ोतरी से जो डाक सेवाओं के विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, डाक सेवाओं की लागत केवल आंशिक रूप से ही पूरी हो पाएगी।

मेरे कर प्रस्तावों तथा डाक शुल्कों में संशोधन के फलस्वरूप, केन्द्र सरकार के कुल व्यय में वर्ष 1999-2000 में मामूली गिरावट होकर यह 2,83,882 करोड़ रुपए हो जाएगी जबकि निवल राजस्व प्राप्तियां तथा ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां बढ़कर 2,03,927 करोड़ रुपए हो जाएंगी। राजस्व घाटा 54,147 करोड़ रुपए आंका गया है जबकि राजकोषीय घाटा 79,955 करोड़ रुपए आंका गया है। यह केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा घोषित सकल घरेलू उत्पाद की नयी श्रृंखला के आधार पर और राज्य सरकारों के संबंध में अल्प बचत संग्रहणों के भाग के भुगतान को शामिल न करने के बाद क्रमशः 2.7 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत बैठता है। सकल घरेलू उत्पाद की पुरानी श्रृंखला के आधार पर और इसी प्रकार राज्य सरकारों के लघु बचत संग्रहण के भाग के भुगतान को शामिल न करते हुए यह प्रतिशत क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत बनता है।

इस बजट के माध्यम से, हम अपनी अर्थव्यवस्था की राजकोषीय स्थिति को बनाए रखने के लिए एक मध्यावधिक कार्यनीति प्रारंभ कर पायेंगे। इस बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत तक नीचे लाने का प्रस्ताव है। इसमें कमी की मौजूदा दर से, राजस्व घाटे को 4 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा तथा राजकोषीय घाटा सकल घेरलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से नीचे आ जाएगा। बजट में हमारे उत्पाद करों में भारी सुधार करने का प्रस्ताव है। मध्यावधि में, हम सकल दर तथा पूर्ण 'वैट' प्रणाली की ओर अग्रसर होंगे। हमारी सीमाशुल्क ढांचे को कम करके 5 वर्षों में एशियाई स्तरों पर लाया जाएगा। इस अवधि के दौरान भारतीय उद्योग की पुनर्संरचना हो जाएगी तथा वह विश्व बाजारों के साथ पूर्णतया प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए सक्षम हो जाएगा। हमारे ज्ञान पर आधारित उद्योग कई लाख रोजगार पैदा करेंगे, प्रतिस्पर्द्धा तथा उत्पादकता में वृद्धि से प्राप्त लाभ हमारे निर्यात को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। इसी अवधि के दौरान, हमारी भौतिक तथा मानव अवसंरचना विश्व के स्तर तक पहुंचाई जानी चाहिए। इन सबके अलावा, हमारे सभी लोगों की खाद्य, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी आवश्यकताएं अब से एक दशक के भीतर पूरी कर जी जाएंगी।

ये उपलब्धियां भारत को वर्ष 2020 के अन्त तक वास्तविक रूप से एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करेंगी। इक्कीसवीं शताब्दी भारत की होगी।

अपराह्न 12.52 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

एक महान स्वप्न द्रष्टा, एक महान राजनीतिज्ञ और इससे भी अधिक एक महान देशभक्त, माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में–

आंखों के वैभव के सपने,
पग में तूफानों की गति हो,
राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता,
आए जिस-जिस की हिम्मत हो।।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : यह भी अंग्रेजी में कह दीजिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : विद ड्रीम्स आवॅ प्रॉस्पेरिटि एण्ड मार्चिंग एट ए स्टॉर्मि पेस, द टाइड ऑव पैट्रिअटिज़्म विल नॉट रीसीड। लेट द करेजस कम फॉरवर्ड टु जॉइन मी।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट इस सम्माननीय सदन को प्रस्तुत करता हूँ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या एम.पी.एल.ए.डी. निधि बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान रखा गया है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : यह भी अंग्रेजी में कह दीजिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, अब इसको हिन्दी में पढ़वा दीजिए। इनके यहां कोई हिन्दी जानने वाला हो, तो हिन्दी में पढ़वा दीजिए। ये हिन्दी में भी बोलेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : लालू जी बहुत देर से हिन्दी का बात उठा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस भाषण को सारी दुनिया सुन रही है और एक दफा जब आप विदेश गये थे, वहां से इन्वेस्टमैंट लाने के लिए, तो आपने एक ही बात कही थी कि अंडरवियर नहीं पहनते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : इस बजट भाषण को एक फीसदी लोगों ने मुश्किल से सुना होगा। इससे ज्यादा हिन्दुस्तान की जनता का अपमान कभी नहीं हुआ।

अपराह्न 12.53 बजे

[अनुवाद]

वित्त विधेयक, 1999*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्त वर्ष 1999-2000 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले वित्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्त वर्ष 1999-2000 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले वित्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक पुरःस्थापित हुआ। अब सभा 4 मार्च, 1999 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.54 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 4 मार्च, 1999/13 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2 दिनांक 27.2.99 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।